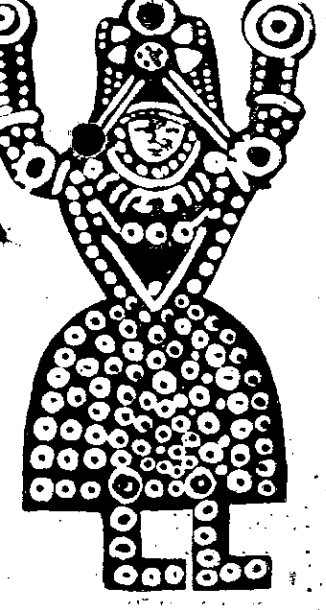

कुरुक्षेत्र

मार्च 1984 मूल्य : 1.50 रु०

संपादकीय

विकास कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी हो

स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कुछ बड़े जमींदारों और महाजनों को छोड़ गांव के सभी लोग गरीबी और लगभग दासता का जीवन तो जी ही रहे थे, साथ ही वे इससे उबरने की बात सोच भी नहीं सकते थे। जो जितना गरीब होता था उसी अनुपात में वह अधिकाधिक शोषण का शिकार होता था। गरीब किसान महाजन के कर्ज में दबा रहता था, यहां तक कि उसकी सारी जमीन महाजन के यहां गिरवी रखी होती थी। अन्य सभी भूमिहीन, मजदूर या कोई और छोटा-मोटा धंधा करने वालों के लिए पहले तो काम के अवसर ही बहुत कम थे, जो कुछ थे उनका पारिश्रमिक, सेवा या वस्तु-मूल्य बहुत कम ही नहीं मिलता था बल्कि उसे लेने के लिए बारम्बार जाना पड़ता था, निहोरे करने पड़ते थे और बेगार करनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में गांव के लोग परिवहन सुविधा-विहीन सड़कों से दूर अंधकार का जीवन बिताते थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने गांवों की दशा सुधारन के लिए जो प्रयत्न किए हैं और कार्यक्रम चलाए हैं वे वस्तुत: बेजोड़ हैं। पहले की कुछ योजनाओं में अपेक्षाकृत गांव-सुधार की प्रगति कुछ धीमी रहने का कारण यह रहा कि उसके लिए सरकार को कुछ बुनियादी अवस्थापना की व्यवस्था करने में समय और साधन जुटाने पड़े। जिनके अभाव में गांव सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना संभव नहीं था। किन्तु धीरे-धीरे इसमें सुधार होता गया। अब अधिकांश गांव सड़कों से जुड़ जाने से परिवहन सुविधाओं के लाभ उठा रहे हैं। अनेक योजनाएं और कार्यक्रम गांवों के लोगों का जीवन-स्तर अच्छा करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से गरीबी को कम करते हुए उसे अन्ततः समाप्त करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग परिस्थितियां होने के कारण स्थानीय दशाओं के अनुसार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीबी के विरुद्ध सुदृढ़ अभियान को संचालित कर रहा है। अब गरीबों के साथ सीधे सम्पर्क से कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आधारिक रूप से न्यूनतम आवश्यकता संबंधी कार्य को रोजगार और आय बढ़ाने से समन्वित किया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अब सभी 5011 विकास खंडों में लागू हो चुका है जिसके तहत निर्धनों में सर्वाधिक निर्धन परिवारों का पता लगाकर उन्हें लाभकारी रोजगार अपनाने के लिए आय दिलाने वाला पूंजीगत माल चरणों में हासिल करने, नई कार्यकुशलता प्राप्त करने और पहले से मौजूद कुशलता को बढ़ाने में सहायता दी जाती है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण या कार्यक्रम (ट्राइसेम) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास का कार्यक्रम (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०) का लक्ष्य, निर्धनों में से अभिनिर्धारित अधिक निर्धन लोगों को गरीबी से निकालना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखे की चपेट के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्रों से सम्बद्ध कार्यक्रम तथा मरुस्थल कार्यक्रम कुछ ऐसे अन्य कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए रोजगार पैदा करने और बुनियादी ढांचा विकसित करने से सम्बद्ध हैं। ये सब कार्यक्रम स्थानीय जरूरतों, कृषि, जलवायु-परिस्थितियों और आर्थिक घटकों के अनुसार ढाले जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नया ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैय्या करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रयासों का एक नया सुदृढ़ कदम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि विभिन्न कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए और जनसाधारण को उनके सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा गरीबों में अपने पर भरोसे की भावना को सुदृढ़ किया जाए। यह सही दिशा में इमानदारी के साथ की गई सशक्त शुरूआत है, इस दिशा में हर स्तर पर दृढ़तापूर्वक राष्ट्र के प्रयास जारी हैं।

इन प्रयासों की सफलता विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में लोगों की जानकारी पर बहुत निर्भर करेगी। आशा है कि सम्बद्ध कार्यकर्ता और अधिकारी इसकी ओर विशेष ध्यान देंगे तथा जनता को इसकी जानकारी देने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। यह भी उम्मीद की जाती है कि आम जनता इन कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकेगी। □

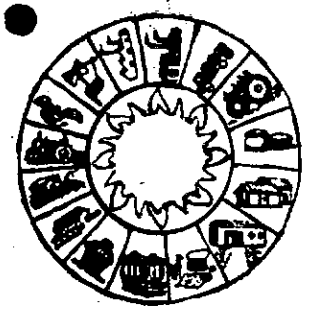

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार: **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०

वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा

सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक

सहायक निदेशक (उत्पादन) :
के० आर० कृष्णन

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : मेघजी परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 29 **फाल्गुन–चैत्र 1905–1906** **अंक 5**

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

गरीबी हटाने का विशाल कार्यक्रम — 2
ए० आर० पटेल

नए बीस-सूत्री कार्यक्रम की मध्यावधि प्रगति — 7
रामेश्वर उपाध्याय

गरीब को छप्पर : बेसहारा को सहारा — 9
डा० निरंजन मिश्र

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भेड़पालन की भूमिका — 10
गंगाशरण सैनी

गरीबी पर चौमुखी चोट — 13
जगमोहन लाल माथुर

भारतीय हरित क्रान्ति में रासायनिक उर्वरकों की भूमिका — 16
डा० ओ३म् प्रकाश शर्मा एवं प्रो० घनश्याम दास अग्रवाल

गीत (कविता) — 18
पंकज पटेरिया

क्या चन्दन भारत से लुप्त हो जाएगा ? — 19
कमल सौगानी

हरित क्रान्ति और वैज्ञानिक प्रयोग — 20
डा० केशरी नन्दन मिश्र

आज रंग की ओर (कविता) — 21
सुरेश विमल

राजस्थान के भरतपुर जिले में बेघर ग्रामीण गृहपति बने — 22
राम चरण धाकड़

आदिवासियों के डाक्टर का वन्य प्राणी संग्रहालय — 23
भास्कर भट

ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् : ग्रामोद्योगों में क्रान्ति की ओर — 24
विजय कुमार कोहली

हास और रुदन (कहानी) — 26
बिमल कुमार 'आलोक'

बहूद्देश्यीय टिहरी बांध परियोजना — 28
आजाद सिंह नेगी

गुणकारी मूंगफली — 30
डा० उमेश चन्द्र पांडेय

केन्द्र के समाचार — 31

तेहराक-मजदूर व छोटे किसानों को पक्के मकान — आवरण पृष्ठ 3
श्रीधर त्रिपाठी

गरीबी हटाने का विशाल कार्यक्रम

ए०आर० पटेल

विकासशील देशों में गरीबी की जड़ें इतनी गहरी पहुंच गई हैं कि उन्हें उखाड़ने के लिए भारी प्रयत्न करना बहुत आवश्यक हो गया है। इन देशों की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या बेहद गरीबी के चंगुल में है। भारत में 1977–78 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की 50.82 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों की 38.19 प्रतिशत जनसंख्या यानि औसत 48.13 प्रतिशत जनसंख्या इस श्रेणी में आती है। इस जनसंख्या का अधिकांश जीवन बीमारी, शिक्षा, कुपोषण और गंदगी के कारण इतना पीड़ित है कि केवल जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकता सुविधा प्राप्त कर लेना भी कठिन जान पड़ता है। मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र की एक कान्फ्रेंस वैनकूवर, कनाडा में मई-जून, 1976 में हुई। इसमें यह सिफारिश की गई कि विकासशील देशों को चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए, जहां कि अधिकांश जनसंख्या बसती है, विशेष ध्यान दें। आमतौर पर सदस्य देशों से यह कहा गया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए रोजगार-अवसर बढ़ाएं, जन-सुविधाओं का विस्तार करें और ग्रामीण लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाएं। कान्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि ग्रामीण रहन-सहन में सुधार करके जीवन को सुखमय बनाया जाए।

भारत सरकार नियोजित कार्यक्रमों के द्वारा भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी को मिटाने के लिए कृत संकल्प है। वास्तव में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में प्रकट हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार को एक इकाई मानकर अपनाया गया है और ऐसी योजना बनाई गई है जिसके द्वारा उसे उपयुक्त प्रौद्योगिकी और व्यवहार्य आर्थिक योजनाओं के माध्यम से ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाए जिससे उसकी आमदनी में वृद्धि हो तथा वह गरीबी रेखा को सदा-सदा के लिए पार कर ले। प्रारंभ में 1978–79 में यह निश्चय किया गया कि 3000 विकास खंडों में से चुने हुए 2000 विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया जाए जिनमें कि छोटे किसान विकास ऐजेंसी (एस० एफ० डी० ए०) डी० पी० ए० और सी० ए० डी० कार्यक्रम पहले से ही लागू थे। फिर भी, 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी 5011 विकास खंडों तक इस कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया। आशा की जाती है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (1980–85) लगभग 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को हमेशा-हमेशा के लिए गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सकेगा। कार्यक्रम को व्यवहार्य बनाने के लिए 1500 करोड़ रु० की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में रखी गई है तथा लगभग 3000 करोड़ रु० की धनराशि ऋण के रूप में वितरण करने के लिए बैंकों से कहा गया है। शायद इतने बड़े पैमाने पर गरीबी हटाने के लिए किए जाने वाला यह विश्व का अपनी किस्म का पहला कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की प्रक्रिया और इसके प्रभाव का अध्ययन गंभीर रूप से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्रियों, योजना निर्माताओं, प्रशासकों, ऋणदाताओं, वैज्ञानिकों आदि द्वारा किया जाएगा ताकि विश्व के अन्य विकासशील देशों में भी गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उपयुक्त साज-सामान जुटाया जा सके। कार्यक्रम को लागू हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। जहां तक लक्ष्य प्राप्ति का संबंध है, आर्थिक सहायता प्रदान करने, ऋण वितरण और अनुसूचित जाति/अनु० जन जाति को कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की बात है, परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहे हैं। जिस गति से और जिस रूप में यह कार्यक्रम चल रहा है, संक्षिप्त में उसका विवरण और समस्याओं को हल करने के लिए कुछ सुझाव यहां प्रस्तुत हैं।

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को काफी महत्व दिया गया है और इसने पर्याप्त प्रगति की है। प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि 1980–81, 1981–82 और 1982-83 के वर्षों में इसने लगातार बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है।

देखने वाली एक दिलचस्प बात यह है कि इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले अनु० जाति/अनु० जन जाति के लोगों की संख्या का प्रतिशत 1980–81 के 24.9 से बढ़कर 1981–82 में 35.1 और 1982–83 में 41.5 हो गया जबकि कुल लाभान्वित लोगों का लक्ष्य प्रतिशत 30 था। प्रतिव्यक्ति सहायता और प्रति व्यक्ति ऋण की मात्रा भी 1980–81 में जहां 550 और 741 रु० थी, 1981–82 में क्रमशः 928 और 1713 हो गई तथा 1982–83 में बढ़कर 1036 और 2076 रु० हो गई। इस प्रकार जैसा कि लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 1982–83 में सहायता और ऋण का अनुपात 1 : 2 प्राप्त कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति निवेश में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई 1980–81 में जहां यह 1291 रु० थी, 1981–82 में 2641 और 1982–83 में 3112 रु० हो गई, जो कि 1981–82 में 104.57 प्रतिशत और 1982-83 में 17.83 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। यहां यह भी सुनिश्चित है कि ये आंकड़े और भी वृद्धि दिखाएंगे क्योंकि 1982-83 के आंकड़े जनवरी-फरवरी तक के ही हैं।

सारणी : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की 1980-83 में प्रगति

	1980–81	1981–82	1982–83 (फरवरी 1983 तक)
1. सहायता किए गए परिवारों की संख्या	27.90 लाख	28.30 लाख	22.00 लाख
2. अनु० जाति/अनु० जन जाति के लाभ प्राप्त परिवारों की संख्या	7.00 लाख	10.00 लाख	9.10 लाख
3. अनु० जाति/अ० ज० जाति के शामिल किए गए परिवारों का प्रतिशत	24.9	35.1	41.5
4. केन्द्रीय सहायता	82.58 करोड़	128.44 करोड़	176.17 करोड़
5. राज्यीय सहायता	153.9 करोड़	255.8 करोड़	190.0 करोड़
6. संस्थागत ऋण	199 करोड़	470 करोड़	380.72 करोड़ (जनवरी '83 तक)
7. प्रति व्यक्ति सहायता	रु० 550	928 (68.72 प्रतिशत)	1036 (11.63 प्रतिशत)
8. प्रति व्यक्ति ऋण	रु० 741	1713 (131.17 प्रतिशत)	20.76 (21.90 प्रतिशत)
9. प्रति व्यक्ति निवेश	रु० 1291	2641 (104.5 प्रतिशत)	31.12 (17.83 प्रतिशत)
10. सहायता ऋण अनुपात	1.35	1.84	2.00

—कोष्ठक में दिए गए अंक पूर्व वर्ष से अपेक्षाकृत वृद्धि – प्रतिशत को दर्शाते हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में संतोषजनक प्रगति रही। फिर भी, निम्नलिखित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी देना है :—

—जिन लोगों के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया था क्या वास्तव में सहायता और ऋण वितरण द्वारा वे ही लोग लाभान्वित हुए हैं ?

—बैंक ऋण और सहायता से प्राप्त चल सम्पत्ति का लाभ वास्तव में क्या लाभान्वित लोगों को हस्तान्तरण हो गया है ?

—क्या जिन लोगों को बैंक ऋण और सहायता प्रदान की गई उन्हें सहायक सुविधाएं जैसे उत्पादन के साधन, कच्चा माल, विपणन सुविधा आदि भी मुहैया की गई ?

—क्या 3112 रु० या इसी तरह का प्रति व्यक्ति निवेश की सहायता जो कि सम० ग्रा० वि० का० के लाभ प्राप्त कर्ताओं को दी गई है, से वे लोग एक बार और सदा-सदा के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे ?

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सूक्ष्म अध्ययन और अनुभव से यह पता चलता है कि यद्यपि सरकार ने सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास ऐजेंसी (डी० आर० डी० ए०) के माध्यम से पूर्ण संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है ताकि सहायता प्रदान किए जाने वाले परिवारों को सदा के लिए गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके, परन्तु डी० आर० डी० ए० का मुख्य प्रयत्न 30 लाख परिवारों को कार्यक्रम में लेने, 300 करोड़ की सहायता तथा प्रस्तावित ऋण को बांटने के लक्ष्य को प्राप्त करने तक ही सीमित रहा है। इस स्थिति के पीछे संभावित कारण निम्नलिखित को भली प्रकार न समझना है :—

(i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की धारणा और इसका समन्वित रूप;

(ii) अतिसावधानी पूर्ण आयोजना; और

(iii) परिणामोन्मुख कार्य योजना का विकास।

इस प्रकार के परिणामोन्मुख कार्यक्रम को बनाते समय लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक रूप में योजना प्रक्रिया का ही एक अंग माना गया, फिर भी स० ग्रा० वि० का० के अधिकारियों ने खंड स्तर पर बिना कार्यक्रम को देखे 600 लाभ प्राप्तकर्ता परिवारों का लक्ष्य रखा। प्रत्येक खंड में लक्ष्य प्राप्ति की इस प्रक्रिया ने ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें अधिकतर लाभ प्राप्त-कर्ताओं का ध्यान बिना परिणाम और उद्देश्यों की ओर ध्यान दिए सहायता प्राप्त करने की ओर अधिक था। इससे कई नवीन समस्याओं ने जन्म लिया, जैसे ऋण के उद्देश्य और उपयोग की देखरेख, लाभप्राप्तकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना, ऋण की किस्तों की वसूली, वास्तविक स्थिति में ऋण भुगतान अवधि को पुनः निश्चित करना, ऋण प्रबंध आदि। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति के चक्कर में एक ही तरफ ध्यान गया कि लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जाएं। पर दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य

लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, गौण हो गया। इसलिए यह आवश्यक है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगी संस्थाएं जिनमें डी० आर० डी० ए०, बैंक और पंचायती प्रशासन हैं निम्न-लिखित बातों की तरफ ध्यान देकर कार्यक्रम को परिणाम-उन्मुख बनाना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय विकास और समाज कल्याण के लिए ग्रामीण विकास को अब अनिवार्य शर्त मान लिया गया है। समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की नहीं है बल्कि ग्रामीण समुदायों के विकास की है—इन आधुनिक छोटे-छोटे समुदायों से अज्ञानता व गरीबी हटाकर इन्हें स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने की। इस तरह मात्र निवल राष्ट्रीय उत्पाद (जी० एन० पी०) या राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि मात्र को ग्रामीण विकास नहीं माना जा सकता। बढ़ी हुई आमदनी का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि आमदनी और संपत्ति की असमानता कम हो। संक्षेप में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को भी बढ़ी हुई राष्ट्रीय आमदनी या प्रति व्यक्ति आय में से उसके हिस्से का समुचित लाभ मिलना चाहिए। मुख्य कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाना है ताकि वहां का उत्पादन, श्रम और आमदनी स्वतः ही समान रूप में समायोजित होती रहे। इसके लिए ग्रामीण समुदायों के लिए अच्छे आवास, स्वच्छता, पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति, बेहतर वातावरण, पीने का साफ पानी, यातायात के समुचित साधन, संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं देना आवश्यक है। इनसे न केवल भौतिक दशा में सुधार आ सकेगा अपितु ऊंच-नीच और जात-पात की भावना भी कम होगी तथा सौमनस्य और सामाजिक चेतना का वातावरण तैयार किया जा सकेगा।

अर्थशास्त्री और समाजशास्त्रियों की दृष्टि में ग्रामीण विकास को चार आयामों में एकीकृत किया जा सकता है। पहला है "सब का सम्पूर्ण विकास" की धारणा, जिसमें विशिष्ट लक्ष्य समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया हो। इसका तात्पर्य है किसी परिवार के लिए बहुद्देशीय और बहु-अवधि का ऋण को तकनीकी सेवाओं के साथ इस प्रकार एकीकृत किया जाए कि ऋण की वापसी के लिए अतिरिक्त उत्पादन की खपत हो जिससे आय बढ़े और ऋण सुगमता से वापस किया जा सके। यह इस प्रकार हो सकता है कि जिस किसी भी प्राथमिक ऐजेंसी से ऋण लिया जाए वह ऋण प्राप्त-कर्त्ता की पूरी आवश्यकताओं को देखे तथा उसे तकनीकी सेवा और सलाह भी प्रदान करे जिनके पीछे समुचित उच्च स्तरीय संस्थाएं हों। तीसरा आयाम ग्रामीण विकास के लिए ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिसमें संतुलित उत्पादन सुनिश्चित हो। इसका अर्थ है कि कृषि के प्राथमिक क्षेत्र को गहन किया जाए व ग्राम्य, कुटीर और दूसरे छोटे उद्योग-धन्धों के द्वितीयक क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत और सुदृढ़ किया जाए तथा साथ ही तृतीयक क्षेत्र जैसे विपणन, संसाधन वह सहायक गतिविधियों की संरचना की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या की रोजगार की समस्या को वहीं पर हल किया जा सके। चौथे आयाम के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने की सुविधा का इस प्रकार एकीकरण करना है जिससे एक तो संस्थाओं के कार्यों में आने वाले दोहरेपन से बचा जा सके और दूसरे ऋण विस्तृत और तकनीकी सेवाओं का समुचित लाभ उठाया जा सके। इन बातों पर आधारित समन्वित विकास का उद्देश्य (1) विस्तृत कृषि (2) लघु ग्रामीण और कुटीर उद्योग धन्धे (3) विपणन सहित ग्रामीण सेवाएं और (4) उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा आदि कार्यक्रमों और ऋण सुविधाओं के मेल से ग्रामीण गरीबों की सहायता करना है।

ग्रामीण गरीबी को दूर करने का दुर्जेय कार्य छोटे-छोटे प्रयत्नों और बिना पूर्ण ग्रामीण विकास किए रातों-रात नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरी आयोजना प्रक्रिया को (1) आय, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण उत्पादन का पर्याप्त उपयोग (2) जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए विस्तृत की अपेक्षा समानुपातिक विकास का लाभ (3) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पूरा करना (4) वर्तमान व्यवसायों में ही रोजगार की अवधि बढ़ाना तथा इस उत्पादन को और सुदृढ़ करना तथा साथ ही साथ प्रौद्योगिकी में उन्नयन, कौशल में वृद्धि और शोषणहीन विपणन तथा ऋण देने वाली संस्थाओं की स्थापना (5) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे लोक कार्यों द्वारा गंभीर बेरोजगारी को मिटाना (6) सामाजिक और आर्थिक संरचना का निर्माण (7) वर्तमान संस्थाओं का इस प्रकार पुनर्गठन करना ताकि गरीब लोगों के हितों की रक्षा की जा सके (8) गरीब लोगों को संगठित करने उनकी संस्थाएं बनाना ताकि उनको शोषण से बचाया जा सके (9) सम्पत्ति की मिलकियत के लिए उदार और समतावादी ढांचे को प्रोत्साहन आदि के समर्थन में बनाकर चलना होगा।

'उत्पादक केन्द्रों' की उपयोगिता से योजना बनाने वालों और नीति निर्माताओं को लोगों की भलाई के कार्यों में काफी सहायता मिल सकती है। उत्पादक केन्द्र प्रायोजना से शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी ही अन्य सुविधाओं को मुहैया करने के स्थान सुनिश्चित करने के लिए नक्शा बनाया जा सकता है। इस प्रायोजना के द्वारा सारी जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, यातायात और संचार, स्थानीय प्रशासन आदि सामुदायिक सुविधाएं सुलभ कराई जा सकती हैं।

इन उत्पादन केन्द्रों में ग्रामीण लोगों को वे सभी आवश्यक सुविधाएं उसी क्षेत्र में उपलब्ध कराने की कोशिश की जानी चाहिए जो उन्हें कस्बों या शहरों में जाकर प्राप्त होती हैं। जैसे (1) कृषि, ग्रामीण और कृषि पर आधारित उद्योग-धंधों में निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षण (2) कृषि और औद्योगिक यंत्रों के रख-रखाव तथा मरम्मत आदि कार्यों को करने और उनका उसी स्थान पर प्रदर्शन करने के लिए चल प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन इकाई (3) ऋण, उत्पादन के आदान, कृषि यंत्रों और औजारों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण सेवा समिति की स्थापना (4) कृषि उत्पादों और कुटीर उद्योगों के उत्पादन के विपणन और भंडारण के लिए भंडार गृह और विपणन साधन (5) फल, ईंधन, चारा और वन-वृक्ष लगाने के लिए नर्सरी उपलब्ध कराना (6) "सीखने के साथ उपार्जन" सिद्धांत पर आधारित विकास विद्यालय जिनमें स्व-रोजगार और मानव, पशु, वृक्ष और मृदा के

प्रति समर्पित भावना वाले अच्छे श्रमिक तैयार किए जाएं (7) प्रायोजना क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की आधारभूत आवास समस्या को हल करने के लिए आवास इकाई।

आर्थिक आधार और निश्चित जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिनका उत्पादन केन्द्रों के रूप में विकास किया जाए, 20 गांवों या ऐसी ही संख्या की लगभग 10 हजार से 25,000 जनसंख्या वाले समूह की उपयुक्तता का पता लगाना, आर्थिक निवेश और सामाजिक सुविधाओं तथा पंचायतों, सहकारी समितियों जैसी संस्थाओं का ग्रामीण समुदाय के लिए व्यवहार्य नियम सुनिश्चित करना, सामाजिक गतिरोधों और अनियमितताओं का अध्ययन और नियोजन और प्रशासन में, बाद में आने वाले व्यवहार्य परिवर्तनों के सुझाव आदि के लिए गहन अनुसंधान और जांच के द्वारा योजना बनानी होगी।

यदि पिछले 3 वर्षों के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिचालन से कोई निर्देश लियों जाए तो उससे पता चलेगा कि खंड स्तर पर जिस नियोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार से जिला नियोजन प्रणाली को और जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी को सुदृढ़ किया जाए। जहां जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी को तकनीकी विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों, सहकारों आदि के सहयोग से सुदृढ़ बनाना आवश्यक है वहीं वित्तीय संस्थाओं जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य वित्त निगम, भूमि विकास बैंक आदि के कार्यक्रम भी केवल ऋण देने तक सीमित न रख कर ऋण को आपूर्ति और सेवा में बदलने तक करना होगा।

बैंकों का कार्य उत्पादन प्रणाली को ऋण देने से बढ़ाकर आवश्यक प्रणाली, आपूर्ति प्रणाली और विपणन तंत्र को भी ऋण देने तक बढ़ाना होगा। क्योंकि इसके बिना उत्पादन मात्र को ऋण देना स्वयं में पराजय साबित होगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के ऋण देने की अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की है। हालांकि यह कठिन है परन्तु किसी भी दशा में असंभव नहीं है। बैंकों को विकास कार्य में सहायक साधनों का पता लगाकर और उनका उपयोग करने की प्रणाली को लेकर सामने आना होगा। जो कुछ भी राज्य द्वारा किसी सीमा तक कार्य किया जा रहा है उसे और सुदृढ़ करके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आगे बढ़ाना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी रूप में प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के साथ मिलकर बैंक की एक शाखा को 15 से 20 ग्रामों के एक समूह के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और ग्रामीण आर्थिकी में बढ़ी हुई वृद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए व्यापक सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लेना चाहिए। ऐसी परिणामोन्मुख कार्य योजना के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे :—

1. ग्रामीणों और गांवों की क्रिया कलापों का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए कि उनकी आर्थिक गतिविधियां क्या हैं तथा उनका ग्रामीण आर्थिक वृद्धि में क्या योग है। इसी तरह अन्य स्रोतों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से दोहन, प्रमाणित प्रौद्योगिकी की सहायता से आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की संभावना (जैसे कृषि, पशुपालन, अन्तः स्थलीय मछली-पालन, ग्रामीण और कुटीर उद्योग व्यावसायिक और अन्य सेवाएं आदि), विद्यमान सामाजिक-आर्थिक ढांचे और ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू होने के उपरांत उत्पन्न होने वाले आवश्यक ढांचे तथा आने वाली बाधाओं को दूर करने आदि का अध्ययन किया जाना चाहिए। जहां तक गरीबी रेखा से कम पर निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रश्न है, उसे तो ऊपर उठाना ही है, सर्वाधिक महत्व "रोटी रेखा" से कम पर निर्वाह करने वाली जनसंख्या की समस्या हल करने पर दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं, पीने का पानी, आवास, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, यातायात और संचार के साधन आदि की न्यूनतम आवश्यकताओं में आई अक्षमताओं और अड़चनों को हटाना होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगारी की समस्या को सार्वजनिक निर्माण कार्यों के माध्यम से दूर करना होगा।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्षेत्र विशेष की ऋण सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे कर विकसित करना जो कि ग्रामीण लोगों को स्वीकार हो। कुछ नवीन योजनाओं को प्रारंभ करना जैसे (1) गरीब से गरीब लोगों को उत्पादन-सह-खपत-सह-घरेलू ऋण सुविधा (2) उपलब्ध साधनों के समुचित उपयोग के लिए तथा सहायक कुटीर उद्योग धंधों द्वारा ग्रामीण और उनके परिवार के सदस्यों को वर्ष भर व्यस्त रखने के लिए फसल-सह-पशुपालन-सह-मछली पालन या पशुपालन-सह-ग्रामीण उद्योग धंधों का विकास तथा उनके लिए ऋण प्रबंध।

3. भू-तल जल के उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाओं को प्रारंभ करना जिनसे सूखा संभावित क्षेत्रों की समस्याओं को हल किया जा सके। शुष्क और मरु क्षेत्रों में पर्यावरण में संतुलन लाने वाली, योजनाएं, बालू के टीलों को स्थिर बनाने वाली और जल संरक्षित करने वाली योजनाएं प्रारंभ की जानी चाहिए।

4. स्थानीय स्रोतों के उपयोग के लिए कृषि आधारित उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करना व ग्रामीण परिवारों की दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए रखरखाव व मरम्मत करने की कार्यशाला स्थापित करना।

5. ऋण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए योजना के विभिन्न घटकों की आवश्यकता का पता लगाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए "फसल ऋण योजना" के अंतर्गत बोई जाने वाली फसल के लिए अधिक उपज वाले/संकर बीज, उर्वरक, कीट-नाशक आदि की आवश्यकता का पता लगाना, "लघु सिंचाई योजना" के अंतर्गत बिजली/डीजल के पम्प सैट लगाने की जरूरत का पता लगाना, "पशुपालन योजना" के अन्तर्गत पशुओं, मुर्गियों, भेड़-बकरियों के चारे आदि की और "ग्रामीण उद्योग ऋण योजना" के लिए मशीनरी, कच्चा माल, उद्योग धंधों आदि की आवश्यकता का पता लगाना। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आवश्यक

साजु-सामान पास के ही स्थानों पर उपलब्ध हो जाएं। वास्तव में ऐसी किसी योजना में समय पर इन चीजों की आपूर्ति कोई बाधा नहीं बननी चाहिए।

6. किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित रोजगार के बारे में व्यापक प्रशिक्षण सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। उनके उत्पादनों की ज्यादा मात्रा और बढ़िया गुणवत्ता के लिए ऊंची कीमत देने की कोशिश की जानी चाहिए। ग्रामीणों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन, विचार-विमर्श, प्रदर्शनियां, मेले इत्यादि की व्यवस्था का प्रयास भी किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप छोटे और लघु उद्योगों के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

7. पिछला अनुभव बताता है कि प्रमाणित प्रौद्योगिकी को लगातार अपनाने के लिए छोटे/सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों और अनु० जाति/जनजाति के सदस्यों पर सतत् नजर रखना आवश्यक है। विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत सरकार ने सभी विकास खंडों में "प्रशिक्षण और यात्रा प्रणाली" प्रारंभ की है। बैंक के फील्ड आफिसर के साथ ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता, जो कि 3–4 गांवों के समूह के 600 परिवारों का प्रभारी होता है, सम्पर्क और तालमेल का कार्य करना चाहिए। ग्रामीणों को कृषि विज्ञान केन्द्रों अथवा कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों पर तथा ग्रामीण नवयुवकों को "ट्राइसेम" योजना के अंतर्गत ग्रामीण और कुटीर उद्योग धंधों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए।

8. योजना के अंतर्गत कृषि बाद की प्रौद्योगिकी में फसलें, फल-सब्जियों, दूध, ऊन, अंडों, मांस-मछली आदि और ग्रामीण उद्योग धंधों के उत्पादनों का संसाधन, भंडारण और विपणन आदि के सभी पक्षों का समावेश किया जाना चाहिए। इसके लिए सहकारी व्यवस्था को प्रोत्साहित करके, सहकारी संसाधन इकाइयां, विपणन समितियां, दूध संग्रह केन्द्र, ग्रामीण गोदाम आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

9. गरीबी दूर करने के उपायों में औद्योगिक घरानों, स्वैच्छिक संगठनों, सेवा संगठनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी विभागों और बैंकों की सीमित मान्यताएं होती हैं। ये ऐजेंसियां गावों में पेय जल की सुविधा, प्राथमिक विद्यालय, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी-छोटी सड़कें आदि उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र को आधुनिक बनाने में सहयोग कर सकती हैं। इसके लिए इन ऐजेन्सियों और सरकार तथा बैंक व ग्राम पंचायतों को मिल-बैठकर योजनाएं तैयार करनी चाहिए ताकि काम में दोहरेपन से बचा जा सके और समय भी कम लगे।

10. ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के उत्पादन को सही मूल्य वाला बाजार उपलब्ध कराना (विपणन) इनके विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समस्या को ग्रामीण विपणन और सेवा केन्द्रों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है। ग्रामीण विपणन और सेवा केन्द्र बैंकों, डी० आई० सी०, खादी ग्रामोद्योग आयोग, हस्तशिल्प बोर्ड, हथकरघा और कापर बोर्ड आदि से तालमेल बैठा कर कच्चे माल, औजार, ऋण और विपणन सेवाएं मुहैय्या कर सकते हैं।

11. ऋणों के संबंध में आकलन, मांग पर आधारित सर्वेक्षणों पर युक्तियुक्त ढंग से किया जाना चाहिए (i) यह ज्ञात किया जाए कि किस परिवार के लिए कौन सी योजना उपयुक्त रहेगी (ii) पहले से ही ऋणग्रस्त परिवार के ऋण प्राप्त करने के स्रोत और ऋणग्रस्तता के कारण जानना (iii) प्राकृतिक आपदाओं की क्षति पूर्ति के लिए फसल, पशु या सम्पत्तियों का बीमा करना (iv) न्यूनतम आमदनी के लिए फसल-सह-पशुधन या फसल-सह-मछलीपालन या कुटीर उद्योगों आदि की योजनाएं प्रारंभ करना (v) पूरे क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा, वितरण और वापसी का समय आदि समान और तर्क संगत होने चाहिए।

12. सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, निर्देशन, अवलोकन, कमियों को दूर करने के उपाय आदि समय-समय पर करते रहना चाहिए। ग्रामीण लोगों को ऋण की उपयोगिता, ऋण और सहायता (सबसिडी) में अंतर, ऋण प्राप्त करने की विधि, चुकाने के तरीके, ब्याज दर, सावधानियां और ऋण के दुरुपयोग के दुष्परिणामों आदि के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। □

हनुमान सिंह पंवार
51, मंदिर वाली गली
यूसुफ सराय
नई दिल्ली–110016

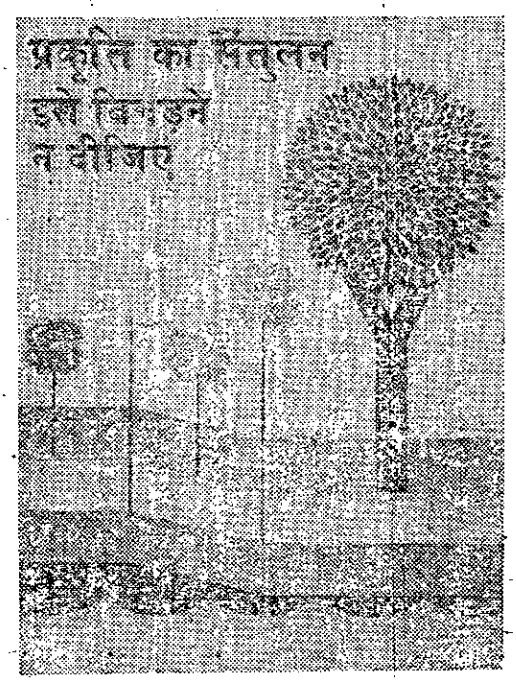

नए बीस-सूत्री कार्यक्रम की मध्यावधि प्रगति

रामेश्वर उपाध्याय

देश की अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने और समूचे राष्ट्र को प्रगति-पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से ही तो बीस-सूत्री कार्यक्रम की आकल्पना की गई थी। यह केवल राजनीतिक नारेबाजी या शब्दों की कलाबाजी नहीं थी। यही कारण है कि समूचे राष्ट्र ने मंत्रवत इसे ग्रहण किया और यंत्रवत उसे कार्यान्वित किया।

शुरू में ही देश के सभी राज्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। फिर उन्हें वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित किया गया। तत्पश्चात, प्रत्येक मास, उनका अलग-अलग लेखा-जोखा रखा गया। यही क्रम अभी भी चालू है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कितनी हुई है, कहां अभी रुकावट है अथवा धीमी गति से कार्य हो रहा है, इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हमारे योजना-विशारद सक्रिय हैं और वे निरन्तर विकास की नब्ज पर उंगलियां रखे हुए हैं।

वनरोपण कार्यक्रम को पूरी निष्ठा के साथ चलाने में अब तक सर्वाधिक सफलता मिली है। दो अरब से भी अधिक पौधे देश भर में यत्र-तत्र रोपे जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, 96 प्रतिशत की उपलब्धि पहले सात महीनों में ही हुई है। जितनी भूमि पर वृक्ष लगाए गए या वनरोपण किया गया, उसका क्षेत्रफल भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा है। फिर भी सभी राज्यों में एक जैसी स्थिति नहीं रह पाई है। जहां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, राजस्थान, मणिपुर, गुजरात और बिहार में वार्षिक लक्ष्य से भी अधिक कार्य हुआ है, वहां जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु में लक्ष्य से कहीं कम काम हुआ है।

महिलाओं और बच्चों के कल्याण-कार्यों में तेजी लाने के लिए हर राज्य के वास्ते अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और यह स्पष्ट सुझाव दिया गया था कि गर्भवती महिलाओं/माताओं और बच्चों को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की जाए—विशेष रूप से आदिवासी, पहाड़ी एवं पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों में भी इस योजना के लाभ पहुंचे। चालू वर्ष में ऐसे समन्वित बाल-विकास केन्द्र देश के 200 ब्लाकों या खण्डों में खोले जाने थे। खुशी की बात है कि इस दिशा में अच्छा कार्य हुआ है और पिछले वर्ष के प्रथम सात मास में ही 96.5 प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो गया। सभी राज्यों द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं, केवल केरल और मध्य प्रदेश पीछे रह गये हैं। मगर वे भी अब लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में हैं।

अब तनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र को लें। सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और उनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की बात चौदहवें सूत्र में है। पिछले साल ऐसे 405 केन्द्र तथा 9000 उपकेन्द्र खोलने थे। इसमें क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है। अधिकांश राज्यों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है किन्तु उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान हरियाणा और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां की उपलब्धि, कम से कम 1983 के पहले सात महीनों में शून्य रही है।

मकान बनाने के लिए भूखण्ड देने का कार्य भी ऐसा है जिसका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है। खासकर ऐसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों पर, जिनके पास अपना मकान बनाने की जमीन नहीं है। ऐसे लोगों को प्लाट देने और फिर कुछ आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करनी थी। इस साल 8 लाख भूखण्ड बांटने का लक्ष्य था, इसका आधा काम हो चुका है। शेष भी निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सकता है। अलबत्ता आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में कहीं कोई रुकावट है। यों कुल मिलाकर लक्ष्य का एक-चौथाई काम हुआ है, किन्तु कुछ राज्यों में बिल्कुल नहीं के बराबर कार्य हुआ है; जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, त्रिपुरा, पंजाब और राजस्थान ऐसे ही राज्य हैं। इन राज्यों की उपलब्धि 5 प्रतिशत से भी कम रही है।

पांचवें क्रम पर गोबर-गैस संयंत्र लाने का काम है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश के लिए जो भगीरथ प्रयत्न किए जा रहे हैं, उसी दिशा में गांव-गांव में गोबर-गैस संयंत्र लगाने की बात थी। पिछले साल देश भर में 50 हजार संयंत्र लगाने थे जिनमें से आधा काम हो भी चुका है। हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है—अर्थात् लक्ष्य से अधिक कार्य कर दिखाया है—166 प्रतिशत की उपलब्धि।

बन्धक मजदूरों को मुक्ति दिलाने का कार्य भी बड़ी मद्धम गति से चल पाया है। कुल 28,804 का लक्ष्य निर्धारित था, किन्तु वर्ष 1983 के प्रथम सात महीनों की उपलब्धि रही है 6549 मात्र।

ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य में पहले बहुत तेजी आई थी। किन्तु इस वर्ष इसकी गति काफी कम रही है। लक्ष्य था 23 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का। किन्तु वर्ष 1983 के प्रथम सात महीनों में तो केवल 5100 गांवों को बिजली दी गई है।

ऐसे ही नलकूपों को बिजलीचालित करने की बात है। वार्षिक लक्ष्य है 3 लाख 68 हजार नलकूप। किन्तु इन सात महीनों की उपलब्धि रही केवल एक लाख नौ हजार अर्थात् वर्ष 1983 के पहले सात महीनों में 29

प्रतिशत कार्य हो पाया है। यहां भी देखना होगा कि गति धीमी कैसे हुई है ?

दूरदराज के इलाकों में बसे गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध पिछले वर्ष 48,886 चुने हुए गांवों में करना है। इनमें से 20,538 गांवों में यह इन्तजाम हो चुका है और पहली बार वहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई है। इस कार्य में भी सर्वप्रथम स्थान उड़ीसा ने प्राप्त किया है। वहां 5,000 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का वार्षिक लक्ष्य रखा गया था। इनमें से जुलाई 1983 तक 3193 गांवों में यह सुविधा दी जा चुकी है, यही रफ्तार राजस्थान की रही है। वहां 3200 गांवों का लक्ष्य था, जबकि पिछले वर्ष प्रथम सात महीनों में 1951 गांवों में यह कार्य किया जा चुका है। हरियाणा, नगालैण्ड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी इस दिशा में सन्तोषजनक कार्य हुआ है और निर्धारित लक्ष्य का लगभग आधा काम पूरा हुआ है। शेष कार्य भी बाकी पांच महीनों में पूरा होना था। त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात, मणिपुर, और केरल इस दिशा में पिछड़े रह गए हैं। वहां लक्ष्य का एक चौथाई काम भी नहीं हो पाया है। क्या रुकावटें हैं, कहां काम रुका है, इस पर वहां की सरकार को तुरन्त ध्यान देना होगा; क्योंकि पेयजल की व्यवस्था करना मानवीयता की दृष्टि से भी एक अत्यावश्यक कार्य है।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्य कुछ मुद्दों पर जो उपलब्धियां हुई हैं, उन्हें सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता।

जाहिर है कि यह देश का आधारभूत आर्थिक कार्यक्रम है और इसकी सफलता या असफलता का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि उन कारणों की तलाश की जाए, उन रुकावटों की पहचान की जाए, जिनकी वजह से वांछित प्रगति नहीं हो पाई है। यही नहीं, उन अवरोधों को निकालने का प्रबन्ध किया जाए, तभी हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। □

आकाशवाणी सामायकी से साभार

किशोरी के मूर्तिकार

भगवान ने मनुष्य को बनाया है या मनुष्य ने भगवान को—इस आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर तो किशोरी गांव के मूर्तिकार नहीं जानते। लेकिन इतना वे जरूर जानते हैं कि भगवान की मूर्तियां बनाना उनकी परम्परागत कला रही है।

राजस्थान में अलवर जिले के किशोरी गांव के निवासियों ने पाया कि वे जो पत्थर खुदाई के बाद बेचकर अपना पेट भरते हैं यदि उसे गढ़ कर मूर्ति बना दें तो उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। उन्होंने कलेन्डरों पर बनी देवी-देवताओं की मूर्तियों को देखकर उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया।

आज किशोरी में रहने वाले 125 परिवारों में से अधिकांश मूर्तिकार हैं। लेकिन उनका भगवान स्टेट बैंक आफ इन्डिया है जिससे मिले ऋण से उन्होंने पत्थर और औजार खरीदकर अपने भविष्य की नई राह बनाई है। उनके लिए स्टेट बैंक की आर्यनगर शाखा ही मन्दिर है।

जैसे-जैसे उनकी कला का विकास हुआ उन्होंने अपने गांव में मिलने वाले काले-भूरे सिलेटी पत्थरों की मूर्तियों के स्थान पर 200 किलोमीटर दूर नागौर जिले के मकराना से विश्व विख्यात सफेद संगमरमर मंगा कर उसकी मूर्तियां गढ़ना शुरू कर दिया। संगमरमर के इस्तेमाल से और अच्छी मूर्तियां बनने लगीं। लेकिन संगमरमर खरीदने के लिए रुपया चाहिए था। रुपये की कमी ने बिचौलिए को महत्वपूर्ण बना दिया। वह पत्थरों का प्रबंध कर देता और बनी हुई मूर्तियां भी खरीद लेता था। जयपुर में काफी मुनाफे के साथ बेचने के लिए मूर्तिकारों को केवल थोड़ा-बहुत पैसा मिल पाता था।

परिणाम यह हुआ कि जब उन्हें परिवारों का भरण-पोषण भी कठिन हो गया तो वे एक-एक करके जयपुर में खजाने वालों के रास्ते में मूर्तिकारों के यहां काम की तलाश में आने लगे। मूर्तिकार से मजदूर बन जाना उनके लिए बड़ा दुखदायी था।

किशोरीवासियों को इस कठिनाई से उबारने के लिए अब से करीब दो साल पहले स्टेट बैंक आफ इन्डिया ने गांव में ही मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों को ऋण सहायता देने का निश्चय किया। फलस्वरूप किशोरी गांव के हर ऐसे परिवार को 7 हजार 500 रुपये ऋण के रूप में मकराना से संगमरमर सीधे मंगाने के लिए दिए गए। ऋण की यह राशि 36 आसान किश्तों में अदा की जानी थी। गांव के पंच श्री चिरंजीलाल बड़े गर्व से बताते हैं कि इस प्रोत्साहन से गांव में ही एक शो-रूम बन गया है जहां से इच्छुक ग्राहकों को देवी देवताओं की मूर्तियां जयपुर और विश्व के विभिन्न भागों को भेजी जाती हैं। नेपाल, थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और मारीशिस आदि देशों में भी बड़ी संख्या में यह मूर्तियां मंगाई जाती हैं।

इस समय किशोरी गांव के साथ-साथ आस-पास के 12 दूसरे गांवों में भी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली धन सहायता से मूर्तिकारों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। किशोरी के साथ-साथ डोली का वास आदि दूसरे गांव भी बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होकर बैंक से सहायता लेने आगे आ रहे हैं। अब लगता है किशोरी गांववासियों को मेहनत और कला से प्रसन्न हो भगवान ने बैंक के रूप में सच्चा मित्र उनके पास भेजा है। □

गरीब को छप्पर : बेसहारा को सहारा

डा० निरंजन मिश्र

अलवर जिले (राजस्थान) में इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब लोगों को ठोस लाभ पहुंचाने की दृष्टि से निम्न तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। प्रथम किसी अवांछित व्यक्तियों को अवांछित लाभ न मिले और दूसरा जरूरतमंद को योजना से लाभान्वित होने के लिए भटकना नहीं पड़े। उक्त दोनों तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था कि समस्त कार्यक्रम एक योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाए ताकि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी की संभावनाओं को यथासंभव दूर किया जा सके। और, उसमें सफलता भी मिली। पिछले वर्षों में गरीब लोगों को निशल्क रिहाइशी भू-खण्ड आवंटित किए गए। इनमें से सभी व्यक्तियों को न केवल अधिकार पत्र मौके पर दे दिए गए हैं वरन् भू-खण्ड पर भौतिक रूप से कब्जा भी दिलवा दिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण गृह निर्माण अनुदान एवं ऋण योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 2580 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक जिले में जो अधिकांश भवन न केवल बन चुके हैं वरन् उनमें से अधिकांश में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। जिले में छोटी-छोटी लगभग 50–52 बस्तियां उभरी हैं जो मुख्यतः अनुसूचित जाति, जन जाति, कृषि मजदूर, छोटे किसान तथा गरीब ग्रामीण कारीगरों की है। जिला प्रशासन इस बात के लिए प्रयासशील है कि इन बस्तियों में पेयजल, प्रकाश एवं पहुंच मार्गों की भी व्यवस्था हो जाए।

बात अधूरी रहेगी अगर यह उल्लेख नहीं किया गया कि निशुल्क भू-खण्ड आवंटन एवं ग्रामीण गृह निर्माण के संदर्भ में क्या प्रक्रिया अपनाई गई।

निशुल्क भूखण्ड आवंटन के लिए केवल उसी भूमि को चुना गया जो

अ. बस्ती के पास हो।

ब. समतल हो।

स. जिस पर किसी भी प्रकार का विवाद न हो।

सर्व प्रथम आवंटित होने वाले भूखण्डों का बड़े पैमाने के आधार पर कागज पर ले-आउट प्लान तैयार किया गया जिसमें बीच की सड़क एवं खुले स्थानों का विशेष ध्यान रखा गया। प्रत्येक भूखण्ड 45×30 फुट की साइज का रखा गया इन पर नम्बर डाल दिए गए। कागज के प्लान के अनुसार ही भूमि पर भी पत्थरों एवं सफेदी से इन भू-खण्डों का सीमांकन किया गया। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मांगे गए। अनुसूचित जाति, जन जाति, छोटे-सीमांत किसान, कृषि मजदूर एवं ग्रामीण कारीगर श्रेणी के गरीब लोगों द्वारा प्रस्तुत इन प्रार्थना पत्रों में प्रार्थी की वस्तुस्थिति पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा प्रमाणित की गई। निश्चित तिथि पर स्थल पर ही तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच व अन्य लोगों की उपस्थिति में मजमा-ए-आम में प्राथियों का औचित्य सुनिश्चित करने के बाद उन्हें अधिकार पत्र देकर भूमि का कब्जा सौंपा गया।

गरीब को भूमि तो निशुल्क मिल गई परन्तु रहने को मकान? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न दो योजनाओं का भारी सहारा मिला।

1. ग्रामीण गृह निर्माण अनुदान योजना
2. ग्रामीण गृह निर्माण ऋण योजना

ग्रामीण गृह निर्माण अनुदान योजना, जिसके अन्तर्गत 750/– रु० का अनुदान दिया जाता है वस्तुतः उन गरीब ग्रामीणों के लिए है जिनके पास सिर छुपाने को भी जगह नहीं है या परिवार इतना बड़ा हो गया है कि रहने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे गरीब लोगों के स्वयं के शारीरिक श्रम एवं 750/–रु० के अनुदान के सहयोग से कच्चे छप्पर वाले एक कमरे के मकानों का निर्माण किया गया है।

ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि इसके अन्तर्गत प्रमुखतः वे ही प्रार्थी होते हैं। जिन्हें निशुल्क रिहाइशी भूखंड आवंटित किए गए हैं। आवेदन पत्र के साथ भूमि का पट्टा (अधिकार पत्र) संलग्न किया जाता है। आवेदन पत्र विकास अधिकारी के माध्यम से उप खण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं। वहां से स्वीकृत होने पर प्रार्थी को सूचित किया जाता है कि वह अपना भवन बनाना प्रारम्भ कर दे। कुर्सी तक बन जाने पर सरपंच, ग्रुप सचिव या विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने पर 500 रु० तथा मठोड़ तक बन जाने पर शेष 250 रु० दिया जाता है। इस विधि से अनुदान राशि के सदुपयोग सुनिश्चित करने में बड़ी सहायता मिली है।

ग्रामीण गृह निर्माण ऋण योजना के अन्तर्गत 5,000 रु० का ऋण अत्यंत आसान ब्याज पर दिया जाता है। प्रार्थी को इकरारनामे तथा पट्टे के साथ आवेदन पत्र देना पड़ता है जिसकी स्वीकृति विकास अधिकारी द्वारा की जाती है। पक्के मकान वाली इस योजना के अन्तर्गत

[शेष पृष्ठ 12 पर]

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में भेड़ पालन की भूमिका

गंगाशरण सैनी

भेड़ एक महत्वपूर्ण पशु है। भेड़ों की संख्या में भारत का विश्व में छठा स्थान है। 1968–69 के अनुमान के अनुसार भारत में 4.2 करोड़ भेड़ें हैं परन्तु भारतीय भेड़ पालक इनके पालन-पोषण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। भेड़-पालन सीमित आय वाले निर्धन कृषकों का उद्योग है। यदि इनकी उन्नत नस्लों को वैज्ञानिक विधि से लालन-पालन किया जाए, तो भेड़-पालकों को निश्चय ही अधिक आय होगी। इसे आंशिक व पूर्ण कालिक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। भेड़ों से ऊन के अलावा सींग, खुर, हड्डियां, खालें और खाद जैसे उप पदार्थों की भी उपलब्धि होती है। भेड़-पालन के लाभ और उनके पालन की वैज्ञानिक विधि का उल्लेख नीचे किया गया है ताकि भेड़-पालक इस विधि को इस्तेमाल करके अधिक ऊन, दूध एवं मांस का उत्पादन ले सकें।

भेड़ पालन के लाभ :

- भेड़ अन्य पशुओं की तुलना में काफी सस्ती मिलती है और जल्दी लाभ देना शुरू कर देती है।
- अन्य पशुओं की तुलना में भेड़ की देखभाल अत्यन्त सरल है।
- ग्रामीण जनता को रोजगार के अवसर गांवों में ही मिल जाएंगे।
- ग्रामीण-जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- ग्रामीण जनता के जीवन-स्तर में भी वृद्धि होगी।

भेड़ की नस्लें :—भेड़पालन में उनकी नस्लों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनकी ओर आमतौर से भेड़ पालक ध्यान नहीं देते हैं। भेड़ पालकों को इस व्यवसाय को प्रारम्भ करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल उन्नत नस्ल की भेड़ों व मेढ़ों को ही पालें, ताकि उनसे अधिक मात्रा में दूध, मांस व ऊन का उत्पादन मिल सके। भारत में भेड़ों की विभिन्न नस्लें पाली जाती हैं। सर्व साधारण की जानकारी के लिए क्षेत्रवार उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र : इस क्षेत्र के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश का गढ़वाल जनपद आता है। इन क्षेत्रों में चरागाह अधिक हैं, जिनमें भेड़ों व अन्य पशुओं को सुगमता से चराया जा सकता है। इस क्षेत्र में निम्न नस्लें पाली जाती हैं :

1. पुन्च
2. करनाह
3. कश्मीर वैली
4. रामपुर-बुश-एअर
5. गद्दी

2. शुष्क पश्चिमी क्षेत्र : इस क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश आते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्लों के नाम नीचे दिए गए गए हैं :

1. लोही
2. चोकला
3. मगरा
4. मालपुर
5. मारवाड़ी
6. सोनादी
7. पुगल
8. जेसलमेरी
9. नाली
10. पटनवादी
11. बागीर

3. दक्षिणी क्षेत्र : इस क्षेत्र के अन्तर्गत दक्षिणी क्षेत्र के वे शुष्क क्षेत्र आते हैं, जो विन्ध्या पर्वतों से नीलगिरि तक फैला हुआ है इसके अलावा महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भाग भी इसी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्लों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. दक्षिणी
2. हसन
3. त्रिरुचि (काली)
4. नैलोर टाइप (सफेद)
5. नीलगिरि
6. साउथ डाउन (मांस के लिए)
7. डर्जट (मांस के लिए)
8. कौरीडेल (मांस के लिए)

प्रजनन : भेड़ों का प्रजनन अधिक ऊन और मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। भेड़ विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य उच्च उत्पादक विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन कर के ऊन उत्पादन तथा गुणों में सुधार लाना है। देश में 1977 में संयुक्त समाजवादी गणराज्य रूस से 14000 मैरीनो भेड़ों का आयात किया। 1982 में गुजरात में 58 आस्ट्रेलियाई मैरीनो मेढ़ें आयात किए जिनका रूसी मैरीनों के साथ पटनवादी नस्ल से संकरण करने से एक बहुत अच्छी किस्म के ऊन के रेशों का उत्पादन होता है।

केन्द्रीय प्रजनन फार्म हिसार की स्थापना भेड़ विकास कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों को शुद्ध कौरीडेल और संकर प्रजनित मेढ़ों की उत्पत्ति करने, सप्लाई करने और भेड़ विकास अधिकारियों को

प्रशिक्षण देने के लिए अप्रैल 1969 में की गई थी। नवम्बर 1982 में वर्षों में भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए राज्यों को 4099 कौरीडोल और संकर प्रजनित मेढ़ें सप्लाई किए गए।

केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर ने एक नई ऊन कालीन देने वाली नस्ल 'अविकालीन' विकसित की है। जो 2 कि० ग्राम ग्रीजयुक्त ऊन प्रतिवर्ष देती है। पशुओं की विशाल संख्या से अन्तराचयन द्वारा उत्पादन में और सुधार लाने का कार्य प्रगति पर है।

एक नई ऊनी कपड़ा नस्ल देने वाली "अविवस्त्र" विकसित की है, जो 2.5 कि०ग्राम ग्रीजयुक्त ऊन प्रतिवर्ष देती है।

केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर और आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में देशी नस्लों के सफोक और डोरसेट नस्लों के अर्द्धसंकरों में भार वृद्धि और चारे दाने की मांस में बदलने की क्षमता देशी नस्लों से अधिक पाई गई है। मांस देने की दृष्टि में सफोक संकर नस्ल अधिक अच्छी पाई गयी है।

भेड़ों में प्रजनन काल जलवायु के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है। अतः प्रजनन उस समय कराना चाहिए जब हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और मौसम न अधिक गर्म हो और न अधिक ठण्डा हो। प्रजनन काल दो माह तक सीमित रखना चाहिए तथा मेढ़ा सुबह-शाम 1–2 घण्टे रेवड़ (भेड़ों का झुण्ड) में छोड़ना चाहिए। प्रजनन के लिए संकर या विदेशी मेढ़ों का ही उपयोग करना लाभप्रद रहता है। इससे आय में दुगनी तक वृद्धि हो सकती सकती है।

रेवड़ की स्थापना :

रेवड़ की स्थापना में भेड़ों का चयन, मेढ़ों का चयन, उनके लिए आवास का समुचित प्रबन्ध अनिवार्य है। इन सभी बातों के प्रति भेड़-पालक ध्यान नहीं देते हैं। जिसके कारण उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। हम यहां इस विषय पर सविस्तार चर्चा करेंगे :

भेड़ों का चयन : भेड़ पालकों को भेड़ों का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :

1. भेड़ अपनी नस्ल का प्रतिनिधित्व करें।
2. यदि भेड़ मांस के लिए पाली जाती है, तो ऐसी भेड़ का चयन करें, जिसका शरीर भारी हो, मांसल हो और टांगें छोटी हों।
3. यदि ऊन के लिए भेड़ चुननी हो, तो उससे प्राप्त होने वाली ऊन बारीक और मुलायम होनी चाहिए।
4. उनकी आयु 2–3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. उनके स्तन रोगमुक्त और स्वस्थ होने चाहिए।

मेढ़ों का चयन :

1. मेढ़ों की आयु भी 2–3 वर्ष होनी चाहिए।
2. वे शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट चौडी छाती और टांगें मजबूत वाले होने चाहिए।
3. शरीर ऊन से भली-भांति ढका होना चाहिए।
4. उनके अण्डकोष छोटे व लटकने वाले नहीं होने चाहिए।

आवास : आमतौर से भेड़ों व मेढ़ों के लिए अच्छे आवास की सुविधा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें सर्दियों में एक कमरे में बन्द कर दिया जाता है और बरसात व गर्मियों में भी उन्हें रखने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाता है। भेड़ों को अधिक ठण्ड, गर्मी व वर्षा से बचाने का उचित प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक एवं महत्व-पूर्ण कार्य है। भेड़ों के लिए आवास निम्न प्रकार का होना चाहिए :

भेड़ों के बाड़े के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो ऊंचे स्थान पर हो ताकि वर्षा का पानी वहां पर न ठहर सके।

100 भेड़ों के लिए 50′×20′ छान का बना घर तथा 50′×10′ खुली जगह होनी चाहिए।

बाड़ा उत्तर-दक्षिण दिशा में होना चाहिए जिससे भेड़ों को अधिक धूप, हवा, प्रकाश मिल सके।

बाड़े की दीवारें कांटेदार झाड़ियों की बनाई जा सकती हैं। यदि बाड़े में चिचड़े जुएं आदि हो जाए, तो इन को जलाया जा सकता है। इनसे बचाव के लिए बी० एच० सी० भी छिड़की जा सकती है। बाड़े की सफाई भी नियमित रूप से की जानी चाहिए, वरना भेड़ों में रोग फैल सकते हैं। भेड़ के बाड़े को कम से कम एक सप्ताह में एक बार लाल दवा से अवश्य धोना चाहिए। भेड़ों व मेढ़ों को अलग-अलग रखना चाहिए।

पोषक आहार : आमतौर से भेड़पालक उन्हें पोषक आहार नहीं देते हैं, जिसके कारण उन्हें कम उत्पादन मिलता है। भेड़ों, मेढ़ों और मेमनों को पोषक आहार देना बहुत जरूरी है। भेड़ों के गर्भकाल के अन्तिम डेढ़ माह में संतुलित आहार देना चाहिए, ताकि उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा स्वस्थ हो। इसके अलावा निम्न राशन देना चाहिए ताकि मेमनों के जन्म के समय भार अधिक होगा और मृत्युदर घट जाएगी। भेड़ें अधिक दूध देंगी :

क्रमांक	विवरण	मात्रा/भेड़/दिन (ग्राम में)
1.	गर्भ के अन्तिम डेढ़ माह में दलहनी चारा	200–250
	दाना	50–100
2.	दुधारू भेड़	
	दहलनी चारा	250–300
	दाना	100–150
	या	
	दहलनी चारा	250–400
	दाना	50–100
	हरा चारा	200–300

प्रजनन काल के 15 दिन पहले से अन्त तक मेढ़ों को 250 ग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रहें ।

मेमने जब 2–3 सप्ताह के हो जाएं, तो उन्हें खाने के लिए हरी मुलायम घास डालनी चाहिए । इसके अतिरिक्त 2 सप्ताह से 3 माह तक की आयु तक 50 से 200 ग्राम दाना भी देना चाहिए । दाना निम्न प्रकार से बनाएं :

मक्का या जौ (दले हुए)	—	50 प्रतिशत
मूंगफली की खली	—	30 प्रतिशत
चोकर	—	18 प्रतिशत
लवण	—	2 प्रतिशत

भेड़ें अपना अधिक समय चरने में व्यतीत करती हैं । मई-जून में उन्हें सूखा चारा व दाना अवश्य देना चाहिए इसके अभाव में बबूल खेजड़ी, सूबबूल, पीपल, ढाक, नीम आदि की पत्तियां खिलानी चाहिए । भेड़ों को दिन में एक बार साफ पानी अवश्य पिलाना चाहिए ।

ऊन कतरना : भेड़ों की ऊन कतरना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है । ऊन कतरने के समय थोड़ी सी लापरवाही से इससे होने वाली आय में भारी कमी हो जाती है । ऊन कतरने से लगभग एक सप्ताह पूर्व भेड़ को भली भांति साफ पानी से नहलाएं। ऊन उस समय कतरनी चाहिए, जब मौसम न अधिक गर्म हो और न अधिक ठण्डा हो । ऊन को पीलेपन से बचाने के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह और मार्च माह में कतरनी चाहिए । पेट व टांगों की ऊन व काली ऊन को अलग रखना चाहिए ताकि आपको अपनी ऊन का उचित मूल्य मिल सके ।

यदि उनके शरीर पर घाव हों, तो उन पर दवा लगाएं । ऊन कतरने के 10–15 दिन बाद भेड़ों को 0.05 प्रतिशत बी० एच० सी० के घोल में नहलाना चाहिए । ताकि उनकी चिचड़ और जुएं मर जाएं ।

फड़किया और माता के टीके क्रमश: फरवरी और मार्च में लगवाने चाहिएं । इससे मृत्युदर में कमी हो जाती है और 10–15 प्रतिशत आय में वृद्धि भी हो जाती है ।

छंटनी : भेड़ पालन में छंटनी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है जिसकी ओर साधारणतया भेड़ पालक ध्यान नहीं देते हैं । भेड़ की शारीरिक बनावट और ऊन की मात्रा के आधार पर उनकी छंटनी करना अत्यन्त आवश्यक है । उचित प्रकार से छंटनी करके 10–15 प्रतिशत तक आय में वृद्धि की जा सकती है । भेड़ों की छंटनी निम्न प्रकार से करनी चाहिए :

- जो भेड़ अपनी नस्ल का प्रतिनिधित्व न करें ।
- भेड़ के शरीर पर कम और काले धब्बे वाली ऊन हो,
- वे भेड़ें जो कम दूध देती हों ।
- वे भेड़ें जो गत दो वर्ष से ब्याई न हो ।
- वे भेड़ें जिनकी आयु 8 वर्ष से अधिक हो, उनके जबड़े छोटे या बड़े हो और पिछली कोहनियां आपस में भिड़ती हों ।
- जिनकी ऊन मोटी हो ।
- प्रजनन के अयोग्य मेढ़ों ।
- जिन मेढ़ों की आयु पांच वर्ष से अधिक हो ।

यदि भेड़ों का पालन-पोषण उपरोक्त वर्णित विधियों के अनुसार लिया जाएगा तो निश्चय ही उनसे अधिक मात्रा में ऊन और मांस मिलेगा । इसके अलावा दूध भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा । साथ ही उनकी मेंगनों से उत्तम खाद भी मिलेगा । जिसे खेतों में डालकर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सकेगी । भेड़ पालन से छोटे कृषकों, खेतीहर मजदूरों को रोजगार मिलेगा और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । अन्तत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होगा । परिणाम स्वरूप गांवों के लोगों में खुशहाली का आलम होगा ।□

1023—टाईप 4, एन० एच० 4, फरीदाबाद–121001

गरीब को छप्पर : बेसहारा को सहारा

(पृष्ठ 9 का शेषांश)

कुर्सी तक भवन बन जाने पर उप अभियंता द्वारा खर्चा प्रमाणित किया जाता है तब प्रथम किस्त 2500 रु० की दी जाती है । मठोड़ तक बन जाने पर अग्रिम किस्त के रूप म 2000 रु० तथा पूरा हो जाने पर शेष 500 रु० दिए जाते हैं । इस योजना के मकानों के लिए दो कमरों का एक माडल पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिया जाता है । इस प्रकार स्वयं का शारीरिक श्रम एवं ऋण की राशि में कुछ राशि अपनी ओर से मिला ग्रामीण भाई आसानी से दो कमरे वाला मकान बना लेते हैं ।

जिले में भूखंड आवंटन और भी ज्यादा हो सकता था परन्तु अधिकांश क्षेत्रों के कृषि प्रधान होने, 1975 में भारी मात्रा में रिहाइशी भूखंडों का आवंटन होने तथा किशनगढ़ उपखंड में कस्टोडियन लैंडस होने के कारण आबादी में परिवर्तन योग्य भूमि का अभाव है ।

"गरीब को छप्पर" कार्यक्रम के अन्तर्गत बस्तियों को यथा संभव सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन कृत–संकल्प है । यहां हैंडपम्प और कुएं लगवाए जा रहे हैं यही नहीं विद्युत विभाग इन बस्तियों को विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए प्रयत्नशील है । इस संदर्भ में जिले की बानसूर पंचायत समिति के आलमपुर, रामनगर, देवसन, शाहपुर तथा माजरा अहीर आदि स्थानों पर स्थित बस्तियां उल्लेखनीय है ।□

उप जिला विकास अधिकारी,
अलवर (राजस्थान)

गरीबी पर चौमुखी चोट

तीन दशकों के आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्रति-व्यक्ति आय 466 रुपये से बढ़कर 750 रुपये हो गई पर गरीबी अभी भी बड़े पैमाने पर विद्यमान है। गरीबी खत्म करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का इस लेख में विश्लेषण किया गया है।

जगमोहन लाल माथुर

सदियों की गुलामी के बाद जब भारत अपने भाग्य का स्वयं विधाता बना तो सबसे बड़ा काम करोड़ों देशवासियों को गरीबी के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें बेहतर जीवन सुलभ कराना था। 1951 में, आयोजित विकास द्वारा जीवन स्तर उन्नत करने के प्रयासों के समन्वित रूप में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने के साथ हम आगे बढ़ने तो लगे पर हमें यह अहसास भी होने लगा कि यह आसान काम नहीं है। छठी योजना के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हम हैरत में थे।

तीन दशकों के अनवरत आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्रति-व्यक्ति आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई। जो आय 1950–51 में केवल 466 रु० थी, 1978–79 में बढ़कर 730 रु० हो गई (1970–71 के मूल्य स्तर के अनुसार) लेकिन आधे से अधिक जन-संख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी यानी बेहद गरीबी में थी। गरीबी नापने का एक पैमाना तैयार किया था छठी योजना के संबंध में बनाए गए एक टास्क फोर्स ने। यह पैमाना था ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी आहार लेने के लिए होने वाला मासिक खर्च का मध्य बिन्दु। 1979–80 के मूल्यों के हिसाब से लगाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस मध्य बिन्दु का अर्थ है 76 रु० और शहरी क्षेत्रों के लिए 88 रु०। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में औसत प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च 75.61 रुपये था और शहरी क्षेत्र में 108.73 रुपये जबकि निर्धनता की रेखा के नीचे के लोगों का खर्च ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 45 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 54 रु० था। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 25 करोड़ 10 लाख तथा शहरों में 5 करोड़ 11 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। प्रतिशत के अनुसार कहें तो 1977–78 में ग्रामीण क्षेत्रों के कोई 50.82 प्रतिशत लोग तथा शहरी क्षेत्रों में 38.19 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन बिताते थे।

गांवों में गरीबी सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी थी ।

हमने अपने विभिन्न प्रदेशों पर नजर डाली तो हमारा चिन्तित होना स्वाभाविक हो गया । 1977–78 में विभिन्न राज्यों में स्थिति इस प्रकार थी :—

प्रदेश	गरीबी की रेखा के नीचे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
1. आंध्र प्रदेश	43.89
2. असम	52.65
3. बिहार	58.91
4. गुजरात	43.25
5. हरियाणा	23.20
6. हिमाचल प्रदेश	28.12
7. जम्मू–कश्मीर	32.75
8. कर्नाटक	49.88
9. केरल	46.00
10. मध्य प्रदेश	59.82
11. महाराष्ट्र	55.85
12. मणिपुर	30.85
13. मेघालय	53.87
14. नगालैंड	अप्राप्य
15. उड़ीसा	68.97
16. पंजाब	11.87
17. राजस्थान	33.75
18. तमिलनाडु	55.68
19. त्रिपुरा	64.28
20. उत्तर प्रदेश	50.23
21. पश्चिम बंगाल	58.94
22. केन्द्रशासित क्षेत्र	34.32
अखिल भारत	50.82

इससे जाहिर है कि गरीबी की रेखा से नीचे का सबसे अधिक प्रतिशत उड़ीसा में 69 प्रतिशत था । त्रिपुरा में 64 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 60 प्रतिशत तथा बिहार व पश्चिम बंगाल में 59 प्रतिशत लोग ऐसे थे, जबकि पंजाब में केवल 11.87 प्रतिशत तथा हरियाणा में 23.25 प्रतिशत लोग इस वर्ग में थे । गांवों में रहने वाले ये कौन लोग हैं जो बेहद गरीबी में जीते हुए हमसे अपेक्षा कर रहे हैं उबारने की । ये हैं भूमिहीन मजदूर, छोटे या सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, मछुवा और अनेक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदि जातियों के लोग । अतः गरीबी से युद्ध करते समय हमने वे उपाय अपनाए थे, जिनसे इस प्रकार के लोग ऊपर उठ सकें । अतः दो प्रकार के कार्यक्रमों की जरूरत समझी गई । एक तो वे जिससे परिवारों को सीधा लाभ पहुंचे और उनके पास ऐसी परिसम्पत्ति या जरिया या ऐसा हुनर अथवा कौशल हो जाए जिससे उन्हें निरन्तर आमदनी होती रहे । दूसरे वर्ग में ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं जिनसे फालतू मौसम में जबकि गांव के अधिकांश लोग निठल्ले हो जाते हैं पूरक रोजगार मिल सके ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

परिवार को लक्ष्य में रखकर जो कार्यक्रम शुरू किया गया वह है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम । यह कार्यक्रम 1968–79 में 2300 विकास खण्डों में लागू किया गया था । 1979–80 में और 300 विकास खंडों को इसके अंतर्गत लाया गया और 2 अक्तूबर 1980 से देश के समस्त 5011 विकास खण्डों में इसे लागू कर दिया गया । इसके पूर्व लघु और सीमान्त किसानों के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा था । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उस कार्यक्रम को इसमें समाहित कर लिया गया । यह बहुत बड़ा काम था । सारे देश के सभी विकास खण्डों का एक समान रफ्तार से काम करना कोई मामूली बात नहीं है । लक्ष्य यह है कि छठी योजना काल (1980–81 से 1984–85) में लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए । करीब 5000 विकास खण्डों में से प्रत्येक में 3000 परिवार 5 वर्ष में बेहद गरीबी की स्थिति से ऊपर लाने थे । छठी योजना में 1500 करोड़ रुपये इस काम के लिए रखे गए और 3000 करोड़ रुपये का निवेश संस्थाओं से प्राप्त करने का इरादा है ।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी

यह कार्यक्रम देश के हर जिले में चलाई गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के जरिये कार्यन्वित किया जा रहा है । यह एजेंसी संस्था पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है । इसका लाभ यह है कि इसकी धनराशि सरकारी विभाग की तरह हर वित्त वर्ष की समाप्ति पर खत्म नहीं होती । मोटा हिसाब यह लगाया गया कि हर विकास खण्ड में करीब 20 हजार परिवार हैं । इनमें से औसतन 10 हजार से 12 हजार परिवार निर्धनता की रेखा से नीचे की हालत में हैं । छठी योजना में ऐसे 3000 परिवारों को ऊपर उठाना होगा यानी 600 परिवार हर साल । हर परिवार के लिए ऐसा काम चुना जाता है जिससे उसकी आमदनी बढ़े । यह काम दुधारू पशु हो सकते हैं या कोई कुटीर उद्योग । बैलों की जोड़ी व गाड़ी हो सकती है या रिक्शा या छोटी मोटी दुकान । यह काम संबंधित परिवार की रुचि और कुशलता को ध्यान में रखकर तय किया जाता है । इसके लिए एकमुश्त सरकारी सहायता (सबसिडी) मिलती है । आदिवासियों को सबसिडी कुल राशि का 50 प्रतिशत मिलती है । लघु किसानों को 25 प्रतिशत तथा सीमान्त किसानों को 33⅓ प्रतिशत । यह सहायता या सबसिडी

वापस नहीं करनी होती । शेष खर्च बैंक से ऋण के रूप में लौटाना होता है । योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि जिला विकास अधिकारी व बैंक अधिकारियों में पूरा तालमेल रहे । अब सवाल यह है कि इस कार्यक्रम को चलाए कोई $3\frac{1}{2}$ वर्ष होने आए हैं और अब तक लाभ कितने लोगों को मिला है ।

उपलब्धियां

वर्ष 1980–81 में कुल मिलाकर 27.27 लाख परिवारों को इससे लाभ पहुंचा । इनमें सबसे अधिक परिवार उत्तर प्रदेश के थे जिनकी संख्या 9 लाख 98 हजार 986 थी । कहा जा सकता है कि करीब 10 लाख । उस वर्ष बिहार के 2 लाख 52 हजार, तमिलनाडु के 2 लाख 55 हजार तथा मध्यप्रदेश के 2 लाख 34 हजार परिवार लाभान्वित हुए । वर्ष 1981–82 में कोई 27 लाख 13 हजार परिवार देशभर में लाभान्वित हुए । इनमें उत्तर प्रदेश 5,40,000, तमिलनाडु के 3,58,000 परिवार, बिहार के 2,76,000 तथा आंध्र प्रदेश के 2,38,000 परिवार सम्मिलित हैं । 1982–83 में लगता है, गति तेज हुई । इस वर्ष लाभान्वितों की संख्या गत दो वर्षों के मुकाबले बढ़कर 34 लाख 55 हजार हो गई । इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे अधिक रहा, वहां कोई 5 लाख 55 हजार परिवार लाभान्वित हुए जबकि बिहार में 3 लाख 62 हजार, मध्य प्रदेश में 3 लाख 13 हजार परिवार लाभान्वित हुए हैं । 1983–84 वर्ष अभी चल रहा है । अक्टूबर 1983 के अंत तक 9 लाख 41 हजार परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ मिला है । इस प्रकार पूरे 3 वर्ष और 8 महीनों में 98 लाख 36 हजार परिवार लाभान्वित हो चुके हैं । लक्ष्य मार्च 1985 तक 150 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाना है, अतः प्रगति संतोषजनक कही जा सकती है ।

सितम्बर 1983 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 874.59 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं । इनमें सबसिडी, कुछ प्रशासनिक खर्च और आधारभूत मदों पर व्यय सम्मिलित है । बैंकों से इस अवधि में 1630.25 करोड़ रुपये का कर्ज दिलवाया गया । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए छठी योजना में 500 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । केन्द्र और राज्य सरकारें आधा–आधा खर्च उठाएंगी । बैंकों से 3000 करोड़ रुपये का खर्च जुटाया जाएगा ।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

एक अन्य कार्यक्रम जिससे ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को लाभ पहुंच रहा है वह है : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम । यह 1977-78 में शुरू किया गया था । तब इसको कहते थे "काम के लिए अनाज कार्यक्रम" । 1980-81 में इसे नया रूप देकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कहा जाता है । इसका उद्देश्य ऐसे ग्रामीणों को जो फसल के बाद बेरोज़गार हो जाते हैं या जिनके पास पूरा रोजगार नहीं होता उन्हें उनके गांव के आसपास ही रोजगार देना है । इसके लिए ऐसे काम हाथ में लिए जाते हैं जिनसे गांव के लिए परिसम्पत्ति सुलभ हो जाए । यह काम सड़क निर्माण हो सकता है या स्कूल अथवा औषधालय के लिए इमारत का निर्माण या कुछ और काम । काम करने वालों को मजदूरी में प्रतिदिन एक किलो अनाज और कुछ नकद दिया जाता है । छठी योजना में इसके लिए 1620 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । केन्द्र और राज्य सरकारें इसका खर्च भी 50 : 50 के आधार पर उठाती हैं । लक्ष्य यह है कि हर साल गांव वालों को 30 से 40 करोड़ श्रम दिनों का रोजगार उपलब्ध हो । यह कार्यक्रम भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के जरिये चलाया जा रहा है । मैंने खुद इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश, बिहार उड़ीसा और राजस्थान में चलते हुए देखा है । ग्रामीणों को इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें अपने घर के पास ही रोजगार मिल जाता है, शहरों में भटकना नहीं पड़ता । उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1980-81 वर्ष में इससे 4135 लाख श्रम दिवसों का, 1981-82 में 3545 लाख श्रम दिवसों का तथा 1982-83 में 3500 श्रम दिवसों को रोजगार उत्पन्न हुआ ।

भूमिहीन रोजगार गारंटी

गांवों में बेरोजगारी की समस्या की विकटता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 1983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की घोषणा की थी । इस कार्यक्रम के लिए इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था । 1984-85 में इसके लिए 500 करोड़ रुपये रखे जा रहे हैं । इसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है । चालू वर्ष में 6 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित किया जाएगा जबकि 1984-85 के लिए 30 करोड़ श्रमदिवस रोजगार का लक्ष्य है ।

अतिरिक्त भूमि का वितरण

एक और उपाय जो ग्रामीणों के लिए सहायक हो रहा है वह है : भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के फलस्वरूप घोषित अतिरिक्त भूमि का वितरण । इसमें कई कानूनी अड़चनें सामने आ जाती हैं, इसलिए प्रगति धीमी रही है । विभिन्न राज्यों में 31 जुलाई 1983 तक 43,30,600 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की जा चुकी थी और 20,05,200 एकड़ वितरित की जा चुकी थी । जमीन मिलने से निश्चय ही गरीब किसानों को बहुत सहारा मिलता है । दुधारू पशु देकर डेयरी सहकारिताओं के विकास से भी गरीब ग्रामीणों की आय बढ़ी है ।

उन्नत किस्मों के बीजों, रासायनिक खाद व उन्नत तकनीकों से कृषि की पैदावार बढ़ रही है, जिसका असर उनकी आमदनी पर पड़ता है । सड़क निर्माण, स्कूल, औषधालय के निर्माण कार्यों से भी गांवों में अधिक रोजगार उपलब्ध हो रहा है । इस प्रकार गांवों में गरीबी के विरुद्ध संघर्ष से दिन प्रति दिन हालत सुधरती जा रही है । □

भारतीय हरित क्रान्ति में रासायनिक उर्वरकों की भूमिका

डॉ० ओ३म् प्रकाश शर्मा एवं प्रो० घनश्यामदास अग्रवाल

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में अनेक प्रयत्न किए जिनमें कृषि अनुसंधान संस्थाओं का विस्तार, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, नवीन उपकरणों के प्रयोग का प्रदर्शन, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि मुख्य हैं। फिर भी कृषि उत्पादन की गति तृतीय योजना तक सामान्य नहीं थी जिससे जनसंख्या की मांग के अनुरूप उत्पादन न होने के कारण खाद्यान्न आयात पर 1965 से 1973 की अवधि तक 2665 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया गया। भारतीय कृषि विकास के क्षेत्र में 1974–75 की अवधि से भारतीय कृषि विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसे हरित क्रान्ति के नाम से पुकारा गया। भारतीय कृषि जो तृतीय योजना के अन्त में प्राकृतिक प्रकोपों से पीली पड़ चुकी थी पुनः हरी-भरी हो उठी और कृषि क्षेत्र के उत्पादन में भारतीय जनसंख्या की मांग के अनुरूप आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। जिससे कृषि क्षेत्र की निराशा और अनिश्चितता की स्थिति ही समाप्त नहीं हुई बल्कि देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो सका। परिणामस्वरूप देश को विदेशी मुद्रा को, जो खाद्यान्न के आयात में प्रयुक्त हुआ करती थी, औद्योगिक क्षेत्र के विकास में प्रयोग किया जाने लगा।

हरित क्रांति से आशय

जार्ज हरार ने हरित क्रान्ति की चर्चा करते हुए लिखा है––हरित क्रान्ति का प्रयोग पिछले दशक में विभिन्न देशों जैसे––भारत, लंका, पाकिस्तान, थाईलैण्ड इत्यादि में खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली आश्चर्यजनक वृद्धि के लिए किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि क्रान्तिकारी कदमों द्वारा कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना ही हरित क्रान्ति कहलाता है। इस प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादन तकनीक में तीव्र गति से सुधार करना ही हरित क्रान्ति है।

हरित क्रांति को जन्म देने वाले घटक

हरित क्रान्ति के अन्तर्गत उत्पादन तकनीक में सुधार करना तथा उत्पादन में वृद्धि करना शामिल हैं। इन में उत्पादन तकनीक में सुधार करना अधिक महत्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, स्थानीय खाद प्रसाधनों का विकास एवं प्रयोग, बहु फसली कार्यक्रम, लघु सिंचाई, पौध संरक्षण, सघन कृषि कार्यक्रम, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान और भूमि सुधार कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं।

हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों की भूमिका

यद्यपि भारतीय नदियों के मैदान पर्याप्त उपजाऊ हैं तथापि हजारों वर्षों से लगातार कृषि होने से धीरे-धीरे इन मैदानों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता रहा है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ मिट्टी की परत इन मैदानों की ऊपरी परत पर प्रति वर्ष बिछ जाती है और इस प्रकार मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने का भरसक प्रयास प्रकृति करती है किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या एवं लगातार बोई जाने वाली कृषि उपज का भार इतना अधिक है कि कम्पोस्ट एवं गोबर आदि की परम्परागत खाद के प्रयोग ने नष्ट हुई उर्वरा शक्ति की पूर्ति करना अब सम्भव नहीं है। अतः विश्व में प्रायः सभी विकसित देशों में सामान्य परम्परागत खाद के अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है।

हरित क्रान्ति को जन्म देने वाली विभिन्न घटकों में उर्वरक विशेष महत्व रखते हैं जिस प्रकार पाचन शक्ति के बिना मानव को पौष्टिक तत्व प्रदान किए जाएं तो उसका प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर अनुकूल नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार अच्छे बीज, पौध संरक्षण बहु फसली कार्यक्रम, सघन कृषि कार्यक्रम रूपी पौष्टिक तत्वों का प्रभाव तभी हो सकेगा जबकि पाचन शक्ति रूपी उर्वरा शक्ति ठीक हो। इस उर्वरा शक्ति में वृद्धि तभी हो सकती है, जबकि भूमि को पर्याप्त उर्वरक एवं जल प्राप्त हों।

भारत में कृषि उत्पादन उर्वरकों के प्रयोग की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ा है जो तालिका संख्या 1 व 2 में स्पष्ट किया गया है ––

तालिका––1

रासायनिक उर्वरकों की खपत (लाख टनों में)

वर्ष	नत्रजन	फास्फेट	पोटाश	कुल खपत
1972–73	18.4	5.81	3.48	27.69
1973–74	18.29	6.50	3.60	28.39
1974–75	18.02	4.73	3.36	26.11
1975–76	21.48	4.66	2.78	28.93
1976–77	24.57	6.35	3.18	34.11
1977–78	29.87	8.40	4.80	43.07
1978–79	33.50	10.20	5.6	49.30
1979–80	35.21	9.94	4.73	49.88
1980–81	36.74	12.93	7.97	57.64
1981–82	41.98	12.92	6.44	61.34

स्रोत––इंडियन एंड फोरेन रिव्यू 15 जुलाई 1978 एवं इकोनोमिक सर्वे 1982–83

तालिका—2

कृषि उत्पादन (लाख टनों में)

वर्ष	खाद्यान्न	तिलहन	गन्ना	कपास	जूट	आलू
1972–73	97.03	6.86	12.76	5.74	6.07	4.45
1973–74	104.67	8.85	14.43	6.31	7.68	4.86
1974–75	99.83	8.53	14.72	7.16	5.83	6.23
1975–76	121.03	9.91	14.41	5.95	5.19	7.31
1976–77	111.17	7.83	15.85	5.84	7.10	7.17
1977–78	126.41	9.00	17.96	7.24	7.15	8.14
1978–79	131.90	9.35	15.73	7.96	8.33	10.13
1979–80	109.70	7.86	13.09	7.65	7.96	8.33
1980–81	129.59	8.08	15.77	7.01	8.16	9.67
1981–82	133.06	10.90	18.73	7.83	8.40	9.94

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1979–80 की अवधि में उर्वरकों का उपभोग अधिक होते हुए भी अधिकांश फसलों का उत्पादन कम रहा है जिसका मुख्य कारण वर्षा की स्थिति प्रतिकूल होना था। शेष वर्षों में उर्वरकों के उपभोग में वृद्धि के साथ-साथ कृषि फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

भारत में उर्वरकों की स्थिति

भारतीय कृषि क्षेत्र में दो प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है (1) परम्परागत खाद (2) रासायनिक खाद। परम्परागत खाद के अन्तर्गत गोबर की खाद तथा कम्पोस्ट खाद आती है। जबकि रासायनिक खाद एक वैज्ञानिक विधि के आधार पर तैयार किया गया उर्वरक है। 1980–81 के समकों के अनुसार भारत में खाद का प्रयोग अन्य देशों की तुलना में काफी कम हैं जो तालिका नं० 3 से स्पष्ट होता है :—

तालिका—3

विभिन्न देशों में रासायनिक खाद का उपयोग

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

न्यूजीलैण्ड	1018
जापान	372
यू० के०	294
फ्रांस	301
इटली	170
चीन	155
अमरीका	112
सोवियत रूस	81
भारत	31
विश्व	80

इकोनोमिक सर्वे 1982–83 पृष्ठ—7

विश्व के देशों के सामने खाद की दृष्टि से भारत बहुत पीछे है जिसके कारण कुछ वर्षों में भारत का विशाल कृषि क्षेत्र देश की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहा।

उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हेतु सुझाव

उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। उर्वरक उपभोग में वृद्धि हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं :—

1. उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं स्थापित क्षमता का पर्याप्त प्रयोग किया जाए। भारत में उर्वरकों के उत्पादन एवं क्षमता को तालिका नं० 4 में स्पष्ट किया गया है कि रासायनिक उर्वरक की उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक रही है। 1980–81 की तुलना में 1981–82 में उत्पादन क्षमता के प्रयोग में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका—4

भारत में रासायनिक उर्वरक का उत्पादन एवं क्षमता

वर्ष	नत्रजन		फास्फेट	
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
1980–81	4575	2164	1282	842
1981–82 (अपेक्षित)	4719	3144	1418	959
1982–83 (अनु०लक्ष्य)	5144	3420	1418	976
1983–84 (संशोधित लक्ष्य)	5295	3800	1493	1150

इकनामिक टाइम्स–अगस्त 31, 1983

2. पोटाश उर्वरक का उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में किया जाए। जिससे पोटाश के आयात की मात्रा को कम किया जा सके।

3. उर्वरकों के पर्याप्त प्रयोग की दृष्टि से यह आवश्यक है कि देश में उर्वरकों का अभाव न रहे जिसके लिए उर्वरकों का आयात किया जाए। जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए मशीन एवं तकनीक का आयात किया जाता है ठीक उसी प्रकार उर्वरकों के आयात में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ सके और देश की प्रारम्भिक आवश्यकता पूरी हो सके। विभिन्न वर्षों में भारत द्वारा किए गए उर्वरकों आयात को तालिका नं 5 में स्पष्ट किया गया है। जिससे यह ज्ञात होता है कि 1980–81 तक आयात की मात्रा बढ़ी है जबकि 1981–82 में सभी प्रकार के उर्वरकों के आयात की मात्रा कम हुई है।

तालिका—5

उर्वरक आयात

(लाख टनों में)

वर्ष	नत्रजन	फास्फेट	पोटाश
1955–56	.53	—	.10
1977–78	7.58	1.64	5.99
1978–79	12.28	2.42	5.17
1979–80	12.95	2.37	4.73
1980–81	15.10	4.52	7.97
1981–82	10.54	3.43	6.44

स्रोत—इकनोमिक सर्वे—1982–83 पृष्ठ—93
(सांख्यिकी सारणी)

4. उर्वरक क्षमता में वृद्धि के लिए वित्त सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जिससे नवीन उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा सके। साथ ही कृषकों को उर्वरक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

5. क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखकर उर्वरकों का उचित वितरण किया जाना चाहिए।

6. उर्वरकों के प्रयोग की तकनीक कृषकों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए।

7. उर्वरकों के प्रयोग के साथ-साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है क्योंकि उर्वरक और जल एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि खेतों में खाद देने के बाद उन खेतों की सिंचाई नहीं की जाती है तो उसका प्रभाव प्रतिकूल होता है। अतः सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का लगभग 45.5 प्रतिशत योगदान रहता है जो देश के आर्थिक विकास को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। इसलिए आर्थिक विकास के क्रम को बनाए रखने के लिए कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है। यह वृद्धि तभी सम्भव है जब कि कृषि उत्पादन के अन्य घटकों के साथ-साथ उर्वरकों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाए। जिसके लिए सरकार को उर्वरकों के आयात, उत्पाद एवं प्रयोग पर विशेष ध्यान देना होगा। □

पी० सी० बागला कालिज
हाथरस–20410

गीत

पंकज पटेरिया
पत्रकार
एच–34,
तवा कालोनी
होशंगाबाद (म० प्र०)

मेढ़ों के हरे हाशिये ...
कल, कल बहता
नहर जल
नूपुर सा बजता
समृद्धि के संदेश लिये ...
रंगीले, अलमस्त
तरुणों से लगते,
तरुणी–तुअर पर
शोख चने फब्तियां कसते ...
सरसों के रूप पर रीझ गये, नटखट मुग्धे ...
गठीले–सजीले बन्ने
हरी पगड़ी पहने
छैले गन्ने ...
अलसाई गेहूं की गेहूंआ बालियें ...

क्या चन्दन भारत से लुप्त हो जाएगा ?

कमल सोगानी

चन्दन के बारे में यह अजीब तथ्य है कि जिस कंकरली पथरीली मिट्टी पर यह उगता है, वहां हीरा और तेल की मात्रा अधिक होती है व हीरा जल्दी बनता है ।

भारत का 60 प्रतिशत चन्दन कर्नाटक में उत्पन्न होता है, वहां 1791 में ही टीपू सुलतान ने इसे राज वृक्ष घोषित कर दिया था अब भी यह राजवृक्ष है। तमिलनाडु में लाल चन्दन होता है । चन्दन यद्यपि सबसे मूल्यवान वृक्ष है पर दिलचस्प बात यह है कि इसे न उगाना पड़ता है, यह जंगलों में अपने आप उग आता है ।

संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में इसकी श्री खण्ड (सफेद), पीत चन्दन और रक्त चन्दन नाम की तीन जातियों का उल्लेख पाया जाता है। वर्तमान में इसकी मलयागिरी, गुलाबी और कुंकुभगुरू नाम की कई प्रसिद्ध जातियां हैं । गुलाबी-नामक जाति के चन्दन वृक्ष में गुलाब की सी भीनी-भीनी सुगन्ध आती है । कुंकुभगुरू-नामक चन्दन उत्तम श्रेणी का माना जाता है । गुलाबी और कुंकुभगुरू चन्दन की लकड़ी बहुत कम और मंहगी मिलती है ।

दुनिया का सबसे अधिक कीमती यह वृक्ष वर्तमान में संकट में है । क्योंकि दुनिया भर में श्रेष्ठ चन्दन के लिए विख्यात भारत में इसका उत्पादन अब काफी गिर चुका है । एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय चन्दन का उत्पादन 1967–68 में 4052 टन से अब 1798 टन रह गया । इस उद्योग में लगे एक लाख 55 हजार श्रमिक दूसरे उद्योगों में चले गए हैं व कई श्रमिक तो खाड़ी के मुल्कों में जाने की सोच रहे हैं ।

चन्दन के उत्पादन में निरन्तर गिरावट का सबसे बड़ा कारण—चन्दन के वनों व चन्दन उद्योग पर पूर्णतः सरकारी अधिकार होना है, हमारी सरकार ने न तो चन्दन की खेती के वैज्ञानिक विकास पर कोई ध्यान दिया है न अन्य रूप से ही उद्योगों को विकसित किया है ।

विदेशों में भारतीय चन्दन की बढ़ती हुई तस्करी का मुख्य कारण—न्यूक्लियर रेडियेशन को रोकने में लाल चन्दन की उपयोगिता सिद्ध होना है । अणु भट्टी में भी लाल चन्दन का उपयोग किया जाता है । अतः कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी कर रहे हैं ।

वैसे भी प्रति वर्ष लाखों रुपयों का चन्दन नक्काशी किए संदूक, पंखों, मूर्तियों, अलंकृत वस्तुएं और खिलौनों के रूप में विदेशों में चुपके–चोरी पहुंच रहा है ।

यूरोपीय देशों में आविष्कृत कृत्रिम सिन्थेटिक चन्दन के तेल का उत्पादन चरम सीमा पर होने से भारतीय चन्दन के तेल का निर्यात भी गिर रहा है। 1975 में जहां 7 करोड़ 12 लाख रुपये के मूल्य का चन्दन का तेल विदेशों को भेजा गया, वर्तमान में यह घटकर मात्र डेढ़ करोड़ रुपये का रह गया है। चन्दन के शुद्ध तेल की कीमत 1600 रुपये प्रति किलो से 575 रुपये रह गई है ।

चन्दन विश्व का सबसे प्राचीन सौंदर्य प्रसाधन है, विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग होता है। चन्दन का बुरादा अगरबत्ती, धूपबत्ती व हवन को सुवासित बनाने के लिए किया जाता है । जितने भी इत्र बनाए जाते हैं वे केसर हो या कस्तूरी के हिना, मुश्क, अम्बर, चम्पा, चमेली, मोगरा व अन्य सभी मूलतः चन्दन के तेल पर बनाए जाते हैं ।

आयुर्वेद व यूनानी दोनों चिकित्सा पद्धतियों में इसे शीतल, शक्तिवर्धक, दन्त क्षय नाशक, स्फूर्तिदायक माना गया है । वर्तमान खोजों से मधुमेह व रक्तचाप में लाल चन्दन की उपयोगिता पाई गई है । अमरीका के वैज्ञानिक कुछ वर्षों से लाल चन्दन के विश्लेषण में लगे हुए हैं तथा रोगियों पर इसके प्रभाव की जांच कर रहे हैं ।

पिछले महायुद्ध के पश्चात बिन सोचे समझे पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों से चन्दन के हजारों वृक्ष काटे गए और उन्हें व्यर्थ ही अग्नि में फूंक दिया गया ।

हमारे देश में अन्त्येष्टि संस्कार में धनी वर्ग पूरी चिता चन्दन की लकड़ी से रचाते हैं तो साधारण जनता चन्दन काष्ठ के 8–10 टुकड़े अवश्य डालती है ।

यदि चन्दन वृक्षों की अवैध कटाई पर कड़ी रोक नहीं लगाई जाएगी और चन्दन वन वैज्ञानिक ढंग से न रोपे गए तो वह समय अब दूर नहीं जब भारत से चन्दन हमेशा–हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा । □

स्टेशन रोड
भवानी मंडी (राज०)
326502.

हरित क्रान्ति

और

वैज्ञानिक प्रयोग

डा० केशरी नन्दन मिश्र

पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ही कृषि उत्पाद में वृद्धि अथवा हरित क्रान्ति की बात प्रारम्भ हुई। क्रान्ति का तात्पर्य बहुत बड़े परिवर्तन से होता है और यही उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की जाए। वैज्ञानिक प्रयोगों के बिना वह सम्भव नहीं। इसके अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग आता है। हरित क्रान्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है यदि सम्पूर्ण विश्व का क्षेत्र देखें तो अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कनाडा इत्यादि समस्त देशों की क्रान्ति तथा घटनाओं एवं वैज्ञानिक उपकरणों की ओर हमारा ध्यान जाता है।

अभी तक हमने जो प्रगति की है वह पूर्ण सन्तोषजनक नहीं है। विश्व के अनेक देश हमसे बहुत आगे हैं। यदि हम खाद्यान्न के उत्पादन की ओर एक निगाह दौड़ाएं तो पाएंगे कि 1950–51 में 55011 हजार टन, 1960–61 में 82326 हजार टन, 1970–71 में 108422 हजार टन, 1977–78 में 126407 हजार टन, 1978–79 में 108850 हजार टन तथा 1980–81 में 129867 हजार टन का उत्पादन हुआ। अन्य फसलों की स्थिति इस प्रकार रही :—

फसलें	1950–51 में	1980–81 में (हजार टनों में)
1	2	3
गन्ना	70,490	150.521
काली मिर्च	20	27.4
मूंगफली	3,319	5019.6
अरंडी	107	210
तिल	422	437.1
राई सरसों	768	2247 (हजार गांठों में)
कपास	3039	7600
पटसन	3496	6515
मेस्टा (सूखा)	659	1680

उक्त तालिका सिद्ध करती है कि हमने काफी प्रगति की है। किन्तु अभी भी यह सन्तोषजनक नहीं है।

वैज्ञानिक प्रयोगों में भूमि की तैयारी बीजोपचार, वैज्ञानिक अथवा उन्नत उपकरणों का प्रयोग, वैज्ञानिक ढंग से खेती, सिंचाई के साधनों का उपयोग, रासायनिक एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग इत्यादि हैं। भूमि की तैयारी के अन्तर्गत भूमि जुताई मिट्टी का परीक्षण है।

फसल के अनुसार ही भूमि की गहरी अथवा सामान्य जुताई की जाती है इसके लिए ट्रेक्टर इत्यादि वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता ली जाती है। कृषि अनुसंधान-शाला के द्वारा मिट्टी का परीक्षण किया जाता है तथा उसके गुणों के अनुसार ही यह तय किया जाता है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल उत्पन्न की जाए तथा कितनी और कौन रासायनिक एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। मिट्टी की अनेक किस्में होती है, ये काली, पीली, लाल, भूरी होती है तथा उनमें रेत, चिकनाई एवं अन्य वस्तुओं की मिलावट होती है। इस ओर अनेक अनुसंधान हो रहे हैं।

बीजोपचार में सुधारे बीजों का उत्पादन बुवाई के पूर्व रासायनिक प्रयोग एवं ऐसे बीजों का उत्पादन है जिनकी उपज अधिक होती है तथा जिनमें बीमारियां नहीं लगती। आज हम संकर मक्का, ज्वार या सभी फसलों के बीजों के नाम सुनते हैं कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें गेरुआ नहीं लगता। इसके साथ ही कलम बांध कर तथा अन्य प्रयोगों से अच्छे बीज तैयार किए जाते है। प्रदेश एवं जलवायु के अनुसार ही बीज का चयन किया जाता है।

वैज्ञानिक अथवा सुधरे उपकरणों के प्रयोग के बिना तो हरित क्रान्ति सम्भव नहीं है। आज ट्रेक्टर, सुधरे हल, थ्रेशर, दवा छिड़कने के पम्प एवं अन्य सैकड़ों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग हो रहा है जिसमें ट्रक एवं ट्राली भी सम्मिलित हैं।

वैज्ञानिक ढंग से कृषि में कतारबद्ध खेती, बीजों की दूरी, चीनी, जापानी पद्धति इत्यादि हैं। एक से अधिक फसल लेना, सघन खेती करना तथा संशोधित पद्धतियों को प्रशिक्षण समय-समय पर दिया जाता है। इसके अन्तर्गत दवाओं का छिड़काव एवं फुहारों द्वारा सिंचाई करना, स्थान के अनुकूल फसल बोना, रोपे तैयार करना, कलमें लगाना तथा संकर फसलें लगाना इत्यादि हैं। कीड़ों को मारने के लिए अनेक प्रकार की रासायनिक दवाएं मिलती हैं। गन्ने में लालधारी पड़ती है उसके लिए क्या प्रयोग किए जाएं तथा कृषि की अन्य बीमारियों का उपचार इसके अन्तर्गत है।

सिंचाई तो कृषि का प्राण है इसके स्रोत कूप एवं नलकूप, तालाब, नदियों के बांध तथा वर्षा है। लोग कहते हैं भारत मानसून का जुआ है। किन्तु इस क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है।

आज बांधों के माध्यम से लाखों एकड़ [illegible] सिंचाई नहरों के माध्यम से हो रही है। सन् 1951 से पहले भारत का सिंचाई क्षेत्र 2.26 करोड़ हैक्टेयर था जो 1979-80 में 5.66 करोड़ हैक्टेयर तथा 1980-81 में बढ़कर 5.88 करोड़ हैक्टेयर हो गया। इस हेतु नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, चम्बल, गंडक, कोसी, सोन, माही, तवा, महानदी, हीराकुण्ड, भाखड़ा, नंगल, व्यास, घाघरा, दामोदर घाटी इत्यादि 42 सिंचाई योजनाएं कार्य कर रही हैं।

इनके माध्यम से पन बिजली का उत्पादन भी होता है। इसके अतिरिक्त नर्मदा एवं अन्य अनेक योजनाएं या तो कार्य कर रही हैं या उन पर विचार हो रहा है। छोटे एवं बड़े बांध तथा नलग्रिड योजना विचाराधीन है। लाखों की संख्या में नलकूप लगाए गए हैं तथा पम्प लगाकर गांव-गांव में बिजली दी जा रही है।

रासायनिक एवं अन्य उर्वरकों म अनेकों प्रकार के रासायनिक उर्वरक सुपर फास्फेट, यूरिया इत्यादि उर्वरक उपलब्ध हैं जिनकी संख्या गिनाना संभव नहीं। अन्य उर्वरकों में हरी खाद, गोबर की खाद, मल की खाद, तलाबों की मिट्टी इत्यादि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हो रहा है। अनेक रासायनिक उर्वरकों के कारखाने देश में कार्य कर रहे हैं। सन् 1980-81 में 55.16 लाख रासायनिक उर्वरकों की खपत हुई तथा सन् 1981-82 में यह बढ़कर 61 लाख टन हो गई है।

वैज्ञानिक प्रयोगों के अन्तर्गत ही पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शनी उपज प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण होता है। साथ ही कृषि पण्डित की उपाधियां भी वितरित की जाती हैं। हर क्षेत्र में ये प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं तथा कृषि उन्नति का प्रचार गांव-गांव में रेडियो एवं अन्य माध्यम से वैज्ञानिक ढंग की खेती के उपाय, फसलों के उपचार एवं सुधरे रूपों की जानकारी दी जा रही है।

इतना ही नहीं कृषि शिक्षा पर भी पर्याप्त बल दिया जा रहा है। इस समय भारत में 23 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं जिनके माध्यम से हजारों की संख्या में कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधिधारी युवक देश को उपलब्ध हो रहे हैं। भारतीय अनुसंधान केन्द्र दिल्ली एवं अन्य केन्द्र में भी कार्यरत हैं। इस समय देश में 31 कृषि विज्ञान केन्द्र तथा 8 अन्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। साथ ही अनेक लोगों को विदेशों में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। ग्राम मेलों में इनकी जानकारी दी जाती है तथा देश भर के 5000 से अधिक विकास खण्ड इस ओर कार्य कर रहे हैं। आशा है हम शीघ्र ही चरम उन्नति पर पहुंच जाएंगे।

□

9, महात्मा गांधी मार्ग, गली नं० 3,
बड़वानी (म० प्र०)

आज रंग की ओर

सुरेश विमल

गांव गांव में है
आज रंग की भोर।
रंग की सांझ,
रंग की ही दोपहरी !

सतरंगी है धूप
और सूरज नवरंगा
सौ रंगों के फूल
खिलाए तट पर गंगा

रंग-बिरंगी चिड़ियों की
पेड़ों पर लगी कचहरी !

बच्चे, बूढ़े, युवा,
नहाए सब रंगों में
लाल-गुलाबी रंग
रमाए अंगों में

रंग में सभी विभोर
कस्बई हो, गंवई या शहरी !

आज रंग के गीत
गूंजते हर नगरी में
छलका है उल्लास अजब
मन की गगरी में

बह फागुनी हवा, खेत
में नाचे फसल सुनहरी !

जी-336, नौरोजी नगर,
नई दिल्ली-110024

राजस्थान के भरतपुर जिले में ग्रामीण गृहपति बने

रामचरण धाकड़

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सर्वांगीण-समृद्धि का आधार है। गांवों की उन्नति ही विकास चक्र की धुरी है। ग्रामीण अंचल में रहने वाले भूमिहीन किसान, पिछड़े हुए बेघर एवं कमजोर वर्ग के लोगों के सामने मौजूदा आवासीय समस्या का समाधान चाहती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम सूत्र नं० 9 'गरीब को छप्पर' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को गरीब लोगों को आवास देने हेतु राज्य सरकारों को लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राजस्थान राज्य में भी सरकार ने सभी जिलों को 50 हजार बेघर एवं गरीब लोगों को आवासीय भूखण्ड एवं 13 लाख 33 हजार रुपये का मकान बनाने हेतु अनुदान दिए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। इसके अन्तर्गत भरतपुर जिले में ग्रामीण निर्माण के कार्य में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।

जिले में लगभग डेढ़ हजार गांव हैं। इन गांवों के बेघर लोगों को आवासीय सुविधा जैसे बने-बनाये मकान आसान किस्तों पर उपलब्ध कराना, मकान बनाने हेतु ऋण एवं अनुदान, आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराना इत्यादि विभिन्न योजनाओं द्वारा जिला प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने इसे जिले में चालू वित्तीय वर्ष में 2500 भूखण्डों के आवन्टन का लक्ष्य रखा था जो केवल छः महीने में ही पूरा कर लिया है। भूखण्डों के आवंटन की लक्ष्य प्राप्ति में भरतपुर जिला राज्य में प्रथम रहा है।

भूखण्डों के आवंटन के साथ-साथ ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं में आने वाली कठिनाईयों के समाधान हेतु प्रत्येक माह में पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों, प्रधानों एवं ऋणदात्री संस्थाओं के अधिकारियों इत्यादि की बैठक जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाती है। जिसमें गृह निर्माण व आवंटन में आने वाली सभी कठिनाइयों का समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

गृह निर्माण की विभिन योजनाएं

जिले में आवासीय गृह निर्माण योजना के तहत् बेघर एवं गरीब 400-परिवारों को रहने के लिए प्रत्येक को 750 रुपये की राशि पाटौर या छप्पर डालने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 6 पाटौर व छप्परों के निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। बाकि लोगों का चयन जिले की पंचायत समितियों द्वारा कर लिया गया है। उन्हें भी शीघ्र सहायता राशि दे दी जाएगी।

दूसरी ग्रामोन्मुखी आवासीय योजना राजस्थान. को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जिले में 320 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत आधे से अधिक मकान बन चुके हैं। बाकी मकानों का निर्माण कार्य जारी है तथा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।

ग्रामीण गृह निर्माण योजना एल० आई० सी० एवं जी० आई० सी० के अन्तर्गत ऐसे बेघर ग्रामीण जिनकी वार्षिक आय 2 हजार रुपये से भी कम है उनको पांच हजार रुपये का ऋण मकान बनाने हेतु सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत जिले में 180 परिवारों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाना है। जिले की सभी पंचायत समितियों को बीस-बीस मकानों के निर्माण हेतु ऋण दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा उन्हें एक-एक लाख रुपये की राशि भी आवंटित की जा चुकी है। पंचायत समितियों ने भी इस योजना के तहत आने वाले परिवारों का चयन कर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी ग्रामीणों को मकान बनाने हेतु ऋण दिए जाने की एक योजना बनाई गई है। अब की बार जिले में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं के हल हेतु आगे आए हैं इनके सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय समस्या हल होने में काफी मदद मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत 400 मकानों के निर्माण हेतु ऋण सुलभ कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के 700 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे परिवारों को जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें प्रत्येक को तीन-तीन हजार

रुपये की सहायता राशि 4 प्रतिशत ब्याज की दर से सुलभ कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके तहत् सभी पंचायत समितियों ने ग्रामीण अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग तथा बेघर गरीब लोग जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं उनका चयन कर बैंकों से लगभग 400 लोगों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। बाकी लोगों को दिसम्बर माह के अन्त तक इस योजना का लाभ मिल जाने का लक्ष्य था।

राजस्थान ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट को-आपरेटिव फेडरेशन जो अनुसूचित जन जाति के लोगों का कल्याण का कार्य करती है जिले में घुमक्कड़ जाति के लोगों के लिए 60 मकान बना कर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में कंजर, नट, कालबेलिया इत्यादि जातियां हैं जो खेल तमाशे दिखाकर पेट पालती हैं अब उन्हें इस योजना द्वारा स्थायी निवास मिल सकेगा। निगम द्वारा मकान बनाने का कार्य जारी है।

हुडको की ग्रामीण गृह निर्माण योजना

जिले की बयाना एवं रूपवास पंचायत समितियों में हुडको द्वारा ग्रामीण गृह निर्माण योजना स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत बयाना में 80 एवं रूपवास में 839 मकानों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु 3000 रुपये की ऋण राशि 5 प्रतिशत ब्याज की दर पर 350 रुपये तक मासिक आय वाले आवासहीन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जानी है। अभी तक बयाना पंचायत समिति में गृह निर्माण हेतु 11 लाख 97 हजार 733 रुपये की प्रथम किस्त प्राप्त हो चुकी है। रूपवास पंचायत समिति को भी 11 लाख 78 हजार 898 रुपये की प्रथम किस्त मिल चुकी है। दोनों पंचायत समितियों में भवन निर्माण का कार्य जारी है। रूपवास पंचायत समिति में 19 मकानों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

जिला प्रशासन एवं विकास विभाग ग्रामीण आवासीय समस्या के समाधान हेतु तेजी से कार्य कर रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब प्रत्येक ग्रामीण के पास निजी घर होगा, अपना रोजगार का साधन होगा। □

आदिवासियों के डाक्टर का वन्य प्राणी संग्रहालय

भास्कर भट

भामरागढ़ क्षेत्र के हेमलकसा लोकविरादरी प्रकल्प में डा० प्रकाश आमटे तथा डा० मंदा आमटे इस इलाके के दुर्गम हिस्सों में रहने वाले गोंड तथा माडिया आदिवासियों के लिए मुफ्त अस्पताल चलाते हैं। यह महाराष्ट्र का वह इलाका है जहां आधुनिक संस्कृति का सूरज अभी तक उगा ही नहीं और जहां दारिद्र्य ही लोगों की एकमात्र पूंजी है। अज्ञान के कर्दम में फंसे ये अधनंगे आदिवासी डा० प्रकाश के अस्पताल में आकर मुफ्त चिकित्सा पाते हैं और रोगमुक्त हो जाते हैं। ये आदिवासी जंगल में पाए जाने वाले बहुत विरले प्राणी डा० प्रकाश को दे जाते हैं जिनका उन्होंने बहुत बड़ा संग्रह किया है।

इस विरले वन्य प्राणी संग्रहालय में एक रोज फरवरी 1983 में एक आदिवासी एक चीते का नवजात बच्चा ले आया। उस समय उस बच्चे की आंख तक नहीं खुली थी। एक अन्य आदिवासी देवगिलहरी का बच्चा, दूसरा जिसकी नाल भी अब तक नहीं गिरी थी ऐसा जंगली भैंस का बच्चा, और तीसरा माऊस डियर का बच्चा लाया। आदिवासियों का निश्चल प्रेम देखकर डा० प्रकाश ने उन बच्चों को रख तो लिया पर इनका संवर्धन कौन और कैसे करेगा? चारों तो दूध पीते बच्चे थे। डा० प्रकाश की समस्या हल की हेमलकसा प्रकल्प में जनी एक पामेरेनियन कुत्तिया ने। अपने बच्चे के साथ-साथ वह इन जंगली बच्चों को भी दूध पिलाने लगी। उसके वात्सल्य में कहीं जरा भी खोट नहीं था। प्रकल्प में ये जंगली जीव मजे में बढ़ने लगे।

ये सभी लगभग एक साल के होने लगे हैं और हरेक ने अपनी खासियत को सुरक्षित रखा है। बंद आंखों वाला 600 ग्राम वजन का और बिल्ली की भांति दिखाई देने वाला छोटा चीता आज 24 किलो वजन का रोबदार जानवर बन गया है। और आदमियों से तो इतना घुल मिल गया है कि हाथों से खिलाए बगैर दूध-चावल नहीं खाता। मांस भी खाने लगा है।

कत्थई-काले और पीले रंग की तथा झब्बेदार पूंछ वाली छोटी देवगिलहरी अब तीन फीट लंबी हो गई है। भामरागढ़ प्रदेश के दुर्गम पहाड़ों में ऊंचे पेड़ों पर रहने वाली और इस पेड़ से उस पेड़ पर स्वच्छंदता से बीस-बीस फीट दूर तक कूदने वाली यह देवगिलहरी डा० प्रकाश और उनके बच्चों के शरीर-कंधे पर खेलती है। आश्चर्य तो इस बात का है कि इसमें किसी भी प्राणी को पिंजरे में बंद नहीं किया है। दिनभर ये सब जीव घर आंगन में मुक्त विचरते हैं और रात को एक कमरे में बंद रहते हैं। डा० प्रकाश और इनके सहयोगी जब जंगल में घूमने निकलते हैं तो उनकी यह 'सर्कस' उनके आगे-आगे चलती है। इस सर्कस में दुर्लभ जंगली भैंस (वाईल्ड बफेलो) का बच्चा भी समाविष्ट है।

डा० प्रकाश आमटे ने इस इलाके में पाए जाने वाले अनेक दुर्लभ प्राणियों का, पशु-पक्षियों का बहुत बड़ा संग्रह किया है। इस संग्रह में सांप, मगर, भालू, बंदर, सांभर चीतल, नीलगाय और अनेक पक्षियों का समावेश है।

किन्तु आगे आने वाले कुछ वर्षों में इस प्रदेश में बनाए जाने वाले इंचमपल्ली और भोपालपट्टणम् बांध प्रकल्प (डैम) के कारण भामरागढ़ इलाका पानी के नीचे चला जाएगा और उस के साथ अमूल्य वनसम्पत्ति और दुर्लभ वन्य-प्राणी वैभव भी नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। □

पठाणपुरा पोस्ट आफिस के पास,
चंद्रपुर

ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्

ग्रामोद्योगों में क्रांति की ओर

विजय कुमार कोहली

आज के युग में किसी भी देश की प्रौद्योगिकी का विकास उस देश की प्रगति का परिचायक माना जाता है। यह प्रगति तभी संभव है, यदि प्रौद्योगिकी के लाभ शहरी जनता के साथ-साथ गांवों की असंख्य जनता तक पहुंचाए जाएं। देश के समूचे सामाजिक विकास में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का विशेष महत्व होने के कारण इन क्षेत्रों में नई तकनीकों की जानकारी का प्रसार किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के तुरन्त बाद शहरों में प्रौद्योगिकी का विकास अपेक्षाकृत अधिक हुआ। परिणामस्वरूप गांव कच्चे माल के प्राथमिक उत्पादक मात्र ही रह गए। गांवों में मुख्य व्यवसाय तो कृषि ही रह गया, क्योंकि परम्परागत व्यवसाय में जुटे कारीगर अपने व्यवसाय छोड़ने पर विवश हो गए। बेरोजगारी से ग्रस्त ग्रामीण मजदूर शहरों की ओर व्यवसाय की तलाश में जाने शुरू हो गए। प्रतिभा-सम्पन्न कारीगरों की युवा पीढ़ी भी शहरों की ओर पलायन करने लगी।

गैर-कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण

पहले की पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने ग्रामीण विकास और निर्धन ग्रामीणों के जीवन में सुधार लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रशासनिक और आधारभूत ढांचे का निर्माण किया। साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय तकनीकी संस्थानों, पालीटेकनिकों, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जैसी विभिन्न संस्थाओं में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकास और संस्थानों का विस्तार करके कृषि के क्षेत्र में प्रगति करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली, किन्तु गैर-कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण कम होने से ग्रामीण व्यवसाय, विज्ञान की नई तकनीकों के पूर्ण लाभों से वंचित रह गए। अनुभव किया गया कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जनता के अधिकांश लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों, भूमिहीन मजदूरों आदि से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी का विकास करके उन्हें सहायता पहुंचायी जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना की गई।

परिषद में देश भर के विख्यात अर्थशास्त्रियों, योजनाविदों, समाज शास्त्रियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और स्वैच्छिक एजेंसियों के संयुक्त प्रयास शामिल हैं, ताकि निर्धन ग्रामीणों की कठिनाइयों का पता लगाया जा सके, नई तकनीकों का विकास किया जा सके और उसे निर्धन ग्रामीण के द्वार तक पहुंचाया जा सके। इसके माध्यम से तकनीकी प्रक्रियाओं के विकास और प्रसार के सभी प्रयासों का समन्वय नाडल केन्द्र के रूप किया जाएगा।

सुखद परिणाम

ग्रामीण प्रौद्योगिकी के जिस स्वरूप की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जाना है उससे व्यवसाय गांवों में पहुंचेंगे तथा ग्रामीण युवकों को अपने गांव में ही रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में आत्म निर्भरता लाने का प्रयास किया जाएगा और ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असंतुलन कम किया जाएगा।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। इससे ग्रामीण अपने परिवेश अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। प्रौद्योगिकी का विकास स्थानीय संसाधनों और स्थानीय कुशलताओं पर आधारित होगा। इसके माध्यम से ऊर्जा के स्रोतों को यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग में लाया जा सकेगा। ध्येय तो यह है कि इससे ग्रामीण परम्पराओं, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को क्षति न पहुंचे बल्कि इनके साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इसके लिए इसे आर्थिक रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रक्रिया के रूप में रूपान्तरित किया जाएगा। अग्नि, बाढ़, तूफान, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर महत्व दिया जाएगा। मौसमी और अंशकालिक व्यवसायों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ग्रामोद्योगों का पुनरुद्धार

विज्ञान की प्रगति से सृजित जानकारी और प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाते हुए परम्परागत कुशलता और क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। स्थानीय संसाधन को उपयोग में लाते हुए प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। ऐसे उत्पाद के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा जिस पर कम लागत आए और जिसकी मांग अधिक हो। बिक्री योग्य माल का उत्पादन बढ़ाने और क्वालिटी कन्ट्रोल सुनिश्चित करने से संबंधित देशी प्रौद्योगिक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वित्तीय, वाणिज्यिक और प्रशासनिक प्रोत्साहन और सहायता की व्यवस्था भी की जाएगी। यह प्रणाली स्थानीय समस्याओं तथा आवश्यकताओं को अनुसंधान केन्द्रों तक पहुंचाने में सक्षम होगी। प्रौद्योगिकी का विकास और प्रसार किए जाने से पूर्व नई तकनीकों का पता लगाने, परीक्षण करने और मानकीकरण करने की व्यवस्था भी की जाएगी। एक वितरण प्रणाली तैयार किए

(शेष पृष्ठ 27 पर)

निपट निर्धनता से छुटकारा

वे संख्या में कुल दो सौ चार हैं लेकिन सभी बहुत अच्छे चरवाहे थे। उनमें से प्रत्येक के पास बीस भेड़ें और एक मेंढ़ा है।

तेलंगिनीहट्टी कर्नाटक के बेलगांव जिले का एक गांव है। इस गांव के चरवाहे पहले इतने खुश नहीं थे। उनका जीवनस्तर आज से कुछ वर्ष पहले तक बिल्कुल अच्छा नहीं था। उनमें से कुछ तो बंधुआ मजदूर थे और कुछ इतनी खराब जमीन पर खेती किया करते थे कि उनके पास वर्ष भर लगभग कोई काम नहीं होता था। कुछ भूमिहीन थे, तो कुछ मजदूर थे और कई अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे। मगर वे सभी अन्ततः एक ही श्रेणी में आ जाते थे, और वह थी गरीबी की। वे सभी बहुत गरीब थे। मगर 1975-76 में आरम्भ होने वाले विशेष मवेशी उत्पादन कार्यक्रम ने उन्हें निपट निर्धनता से उबारा।

उन्हीं में से एक थे पुजारी। गांव वालों के सौभाग्य से इनमें नेतृत्व के गुण विद्यमान थे। जब ग्रामीण-विकास के विभिन्न कार्यक्रम 1976 में आरम्भ हुए, तब इनमें सोया हुआ नेता जाग उठा। चूंकि गांव में कई भेड़पालक थे, अतः उन्होंने भेड़ विकास समिति बनाने का विचार किया। उन्होंने अपने आस-पास के उत्साही लोगों का सहयोग प्राप्त किया और एक समिति बनाने में सफल हो गए।

मगर समिति बनाना तो मात्र पहली रूकावट थी। इन निर्धन लोगों की आशा पर तब तुषारापात हो गया जब बड़े-बड़े व्यापारिक बैंकों ने उनकी सहायता करने से इन्कार कर दिया उन्हें धन के अभाव में अपनी योजना डूबती नजर आई।

लगभग इसी समय "मालप्रभा ग्रामीण बैंक" नाम के एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो बेलगांव और धारवाड़ जिले में काम कर रहा था, ने इस गांव के निकट हुबली में एक शाखा खोली। इस शाखा की ओर से भेड़ों के लिए ऋण दिए जाने का प्रस्ताव, इन उत्साही चरवाहों के लिए आशा का सन्देश बन कर आया।

पहले ही साल इसके तीस सदस्यों को बैंक द्वारा 90,000 रु० की आर्थिक सहायता दी गई। प्रत्येक को एक मेंढ़ा और बीस भेड़ें दी गईं। साथ ही भेड़ पालन के लिए आदर्श जगहों की खोज के लिए भी बैंक ने सहायता का हाथ बढ़ाया। दूसरे और तीसरे वर्षों में 86 और सदस्यों को भी यह सहायता दी गई। 1978 से 1981 के बीच बैंक ने तेलंगिनीहट्टी व आस-पास के छः गांवों के सदस्यों को सात लाख रुपयों का ऋण दिया।

इनमें से साठ लोग बंधुआ मजदूर थे। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को भी सहायता दी गई। एक भूतपूर्व बंधुआ मजदूर ने अपनी भेड़ों की इतनी अच्छी देखभाल की कि उसकी रेवड़ की संख्या बढ़कर तीस हो गई। सघन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कारण ही इन भेड़ ऋणों की ब्याज-दर कम हो सकी।

समिति की सदस्यता में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। सदस्यों को सरकारी भेड़ विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है। ऊन की तैयारी और कम्बल बनाने का काम समिति की देखरेख में हो रहा है। इसके लिए एक लघु औद्योगिक एकक काम करता है।

अब समिति के पास अपना भवन है। एक सचिव भी जिसको वेतन मिलता है। इसने ऊनी कालीनों के लिए हथकरघा केन्द्र बनाने के लिए 200'×150" वर्गगज जमीन खरीदी है।

"ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण के अन्तर्गत छः स्त्रियों और बारह आदमियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है- विभिन्न योजनाओं की सहायता के अंतर्गत चार करघे भी अब तक लगाए जा चुके हैं।

वास्तव में तेलंगिनीहट्टी के ग्रामीण अब अच्छे चरवाहे बन चुके हैं। उनकी रेवड़ों की संख्या बढ़ती ही जाए, यही हमारी कामना है। □

"अच्छी सेहत का आधार सादा पर पौष्टिक आहार"

हास और रुदन

बिमल कुमार 'आलोक'

आज गांव में बड़ी हलचल मची है। अस्पताल में बंध्याकरण शिविर खुला है। "अजी! बम्बई से डाक्टरनियां आई हैं। वे घूम-घूम कर परिवार-नियोजन का 'परचार' कर रही हैं।" मोटर के आते ही गांव में तहलका मच रहा है। स्त्रियां खिड़कियों से झांक रही हैं, बच्चे मोटर के पीछे दौड़ रहे हैं। ये लोग कहते हैं–"अधिक बच्चा न पैदा करें। इससे गरीबी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी और न जाने क्या-क्या बढ़ जाएगी।"

मालती––कितनी मोटी-मोटी हैं सब ? न जाने क्या खाती हैं ?

बूढ़ी काकी ने हाथ झाड़ते हुए कहा––अरे दइया! हाथी-घोड़ा थोड़े ही कोई खात हैं। अन्न ही तो सब खाते हैं ?

मड़ई बहू अपने सामान्य-ज्ञान का परिचय देते हुए बोली––सुनते हैं आपरेशन करवा लेने पर देह मोटी हो जाती है।

कलावती––अच्छा ! वह तो शायद डाक्टर साहब की घरवाली है ?

चनवा––हां, हां ठीक कहती है। कोई दूसरी उतना सटकर थोड़े बैठती।

इधर रमरतिया ने भीड़ को ठेलते हुए कहा––अरे मुझे भी देखने दो। अरे ! वह नर्स है नर्स देखती नहीं सिर पर छतरी है। लाज-वाज इनको कैसा ? दिन-रात तो मर्दों के संग...।

उधर लेडी डाक्टरों का कार्यक्रम। पता चला जिन-जिन औरतों को बन्ध्याकरण कराना है, जल्दी तैयार हो जाएं।

तब तक रामदीन आ गया। भौजी के पास आकर धीरे से कहा––जा न भौजी तू भी...

मालती के चेहरे पर लज्जा, मुस्करा उठी। बोली––बड़ी शरम लगती है। दुनिया भर की चीड़-फाड़...अब बूढ़ी समइया...का ...देह भी कमजोर है।

रामदीन––अजी ! सरकारी मोटर आई है। उसी पर बैठकर जाना है। और सुना है डेढ़ सौ रुपये हरेक औरत को मिलेंगे !

रुपये का नाम सुनकर वह थोड़ा नरम हुई फिर अर्द्ध-विरक्ति का अभिनय करते हुए बोली––राम-राम ! कहीं कुछ हो गया तो ? पैसे तो देह ही से कमाने हैं। अच्छा कोई आज ही तो ये लोग नहीं चले जाते ? जल्दी क्या है ?

रामदीन ने व्यंग किया––नहीं नहीं अभी जल्दी क्या है ? अभी तो केवल छह हैं। चिन्ता तो छह की ही करनी है। एक दर्जन हो जाने दो, फिर कम से कम एक अपनी पलटन तो आबाद है।

मालती का स्वर कुछ कड़ा हो गया––"अजी ! चुप रहो भगवान ने मुंह चीरा है तो आहार भी देगा, सब अपने भाग से जनमे हैं। बड़ा कहते हो, जिसे एक भी नहीं है, उसे सरकार दे दे बच्चा।"

रामदीन––उसके लिए गोद लेने का कानून है ही।

रामदीन के इस कथन को सुनकर मालती एक ऐसा प्रश्न कर बैठी जिसका जवाब रामदीन न दे सका। मालती ने कहा––तो तुम्हीं क्यों नहीं ले लेते ?

यह एक कटु सत्य था जिसने रामदीन के हृदय को झकझोर दिया। क्या करे, शादी हुए दस साल बीत गये, पर एक भी संतान का मुख न देखा। पत्नी चिन्ता भी चिन्ता की साक्षात् प्रतिमूर्ति बनी सिसकती रही है। शादी के साल भर बाद से ही एक शिशु की प्रतीक्षा हो रही है, पर न जाने वह क्यों रूठ गया है। रात को जब चन्द्रमा घूंघट खोलकर मुस्करा उठता, चिंता उसे आंगन में बुलाती। चन्दा मामा आते, चिंता उस भोले-भाले के हाथों से खेलती। लेकिन कब ? स्वप्न में ही तो। स्वप्न-भंग होते ही उसके हृदय में असह्य पीड़ा होती। कभी-कभी तो वह उन्मत्त सी हो जाती। क्या करे ! कितनी ओझैती-गुनैती हुई। कोई कहता––"बरमपिशाच है।" कोई कहता––"मढ़ी है मढ़ी। यह नहीं छोड़ने को।" दो वर्ष तक संतोषी व्रत किया है, चिंता ने। इतवारी भी भूखी, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा वह नास्तिक हो जाएगी। हर बार उसे निराशा ही मिली। कई बार उसने सोचा कि कोई बच्चा गोद ले ले पर ऐसा करना परिवार की भावी मर्यादा के खिलाफ था। कौन देगी अपने बच्चे को ? फिर दूसरे का बच्चा अपना कैसे होगा ? मालती दीदी दे सकती थीं, पर उसने कभी कहने की हिम्मत न की।

रामदीन व्यथित हृदय लेकर अपनी पत्नी के पास चला आया, आते ही चिंता बोली––बाहर क्या हल्ला है, पुलिस आयी है क्या ?

रामदीन ने उदासीन स्वर में कहा—नहीं, वे तो डाक्टरनियां हैं। औरतों का आपरेशन हो रहा है। तौलिया लाओ जरा नहा लूं।

चिंता की जिज्ञासा बढ़ने लगी—इस बार मर्दों का नहीं हो रहा?

रामदीन ने उसी मुद्रा में कहा—हां, आजकल औरतों का ही हो रहा है। साबुन कहां है?

चिंता—राम! राम! औरत होकर भी औरत पर दया नहीं करतीं।

रामदीन—अरे वह तो अपनी मर्जी है। जबर्दस्ती नहीं हो रहा, रुपये भी मिल रहे हैं।

चिंता—कितने?

रामदीन—एक सौ, डेढ़ सौ।

चिंता—अजी एक नमरी और एक पचस टकिया यही न डेढ़ सौ होते हैं?

रामदीन—हां तुम भी नहा लो, पानी ला दूं?

चिंता ने रामदीन की बातों को अनसुना कर उंससे भरती हुई बोली—मैंने कौन सी गलती की है? हे सुरज बाबा!

इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू भर गए। रामदीन ने सांत्वना के स्वर में कहा—संसार में सब बराबर नहीं हैं न, किसी को अधिक होने की चिंता है तो किसी को एक भी न होने की चिंता है। यही तो ऊपर वाले की करामात है। सुनो चिंता—मैं सोच रहा हूं कि मालती मौजी को छोटका गोद ले लें—उन्हें कुछ आराम हो जाए और हम उसे अपना बेटा जान कर पाल लेवें, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, तू क्या कहती है इस बारे में?

चिंता एकदम समझ न पाई क्या जवाब दे—बहुत सोचने के बाद बोली—हमारा भाग खुल जाएगा और जिन्दगी अच्छी कट जाएगी, तुम मालती भौजी से बात कर देखो।

"आज ही शाम को उधर हो आऊंगा।" रामदीन जाते हुए बोला।

वन्ध्याकरण की इच्छुक स्त्रियां मोटरों पर बैठ रही थीं। इसमें क्या लाज? बच्चे कम हों, अच्छा है। कोई एक जून भोजन तो न देगा? सभी हृदय से प्रसन्न हैं। बोझ तो हल्का होगा, बच्चे भी मचल रहे हैं। बच्चियां भी मचल रही हैं, पर उनका वहां कौन काम है? नहीं ये लोग मेला जा रहे हैं। वे भी जाएंगे। पर इन्हें तो मिठाइयां और खिलौने ही चाहिए न? तो वे मिलेंगे। गरज यही बच्चे-बच्चियां घर पर रहें। इधर सेवक ने मालती से कहा तुम भी तैयार हो जाओ।

मालती साड़ी पहनते हुए बोली—और कौन-कौन जा रही हैं।

—"बहुत सी हैं। बेंचू बहू है, दुधिया की माई, अलगू बहू, कई जने हैं।"

—"अजी बेंचू बहू नकर रही थी?"

—"बेंचुआ ने समझा दिया होगा।"

—"कितने दिन रहने पड़ेंगे?"

—"कितने दिन? जैसे जाओ वैसे चले आओ।"

मालती अपने बच्चों को चिन्ता के हवाले कर मोटर पर बैठ गयी। स्त्रियों के चेहरे से लगता यही था कि मोटर पर बैठना ही इन क्षणों की उच्चतम उपलब्धि थी। मर्द तो साइकिल से आएंगे। स्त्रियां उनसे बहुत आगे थीं।

अस्पताल दो मील ही दूर था। कुछ मिनट का संगय लगा। स्त्रियों के गार्जियन भी आ गए नामांकन हुआ, फिर वन्ध्याकरण। सभी को नकद डेढ़ सौ रुपये भी मिले। मालती ने सेवक से कहते हुए कहा—अजी..ई तुम तो कहते थे कि कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तो मालूम होता है कि अब तुम्हीं को चौका-बरतन करना पड़ेगा।

—"एक बड़े दर्द के लिए छोटा दर्द नहीं सह सकती?"

—"मोटर वाले को बुलाओ।"

सेवक ने मुस्कराते हुए कहा—किस लिए?

—"घर चलकर मरना अच्छा रहेगा। अब तो दरद सहा नहीं जाता। तुम्हें हंसी आती है? चिरई के जान जाए और खवैया के सवादे ना?"

—"अरे उसका काम तो हो गया। अब लांगा करना पड़ेगा।"

"बड़ा धोखेबाज है।" मालती ने कहा।

सब स्त्रियों ने दो तांगे लिये। दवाइयां खरीदी गईं। बच्चों के लिए मिठाई खरीदी गई।

घर आकर सेवक मिठाइयां बांटने लगा। छोटका बाज जैसा झपटकर झोला ही ले भागा। मुन्नी ने जमीन पर गिरकर सर फोड़ लिया। उधर पेटुआ को सदमा सा हो गया। वह सिफारिश लेकर मां के पास पहुंचा। इधर दोनों बच्चियां अलग ही रो रही थीं। घर में बाल महाभारत सा मच गया। रंग-बिरंगी गालियों से आंगन महक रहा था। □

बिमल कुमार 'आलोक'
ग्रा० पचफेड़ा, पो० कुर्सौंधी, वा० हथुआ
जिला गोपालगंज (बिहार)

ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्

(पृष्ठ 24 का शेषांश)

जाने की योजना भी इसमें शामिल है, जिसके माध्यम से यह प्रौद्योगिकी भारत के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचायी जा सके

समन्वित दिशा में प्रयास

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से सम्बद्ध सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, संस्थाओं आदि से सम्बन्ध स्थापित किए जाएंगे, ताकि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनमें उपलब्ध जानकारी तथा सुविधाओं को प्राप्त कर समन्वित तथा सही दिशा में प्रयास किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों में जहां प्रौद्योगिक संस्थाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, वहां पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी परन्तु जहां ऐसी संस्थाएं नहीं हैं, वहां उन्हें स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

अर्थ व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन

अद्यतन प्रौद्योगिकी की सहायता से मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। प्रौद्योगिकी को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और भूमि सुधार के कार्यक्रम से समन्वित करके 'ग्रामीण निर्धनता निवारण' के वर्तमान छठी पंचवर्षीय योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए सतत् और समर्पित प्रयास किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन का सूत्रपात होगा। □

बहूद्देश्यीय टिहरी बांध परियोजना

आजाद सिंह नेगी

ऋषिकेश से लगभग 82 किलोमीटर आगे पवित्र भागीरथी और भिलंगना नदियों के तट पर बसा हुआ टिहरी एक छोटा सा नगर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6 वर्ग किलोमीटर और इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 12,000 है। इसे महाराजा सुदर्शन शाह ने 1815 में बसाया था। स्वाधीनता तक यह नगर टिहरी गढ़वाल राज्य की राजधानी रहा। टिहरी में भागीरथी और भिलंगना का संगम, भिलंगना के तट पर सेमलासू में स्वामी रामतीर्थ स्मारक स्तंभ यहां के दर्शनीय स्थलों में से हैं। सामन्तशाही के अत्याचारों से जूझते हुए अमर शहीद श्रीदेव "सुमन" ने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई, 1944 को टिहरी जेल में दम तोड़ा था।

1962 में देश पर चीन का आक्रमण होने तक इस सीमान्त पर्वतीय इलाके की ओर इतना अधिक ध्यान नहीं गया था परन्तु चीनी हमले के बाद सरकार ने इस क्षेत्र के महत्व को समझा और इसके विकास के लिए टिहरी के निकट भागीरथी पर बहूद्देश्यीय टिहरी बांध बनाने का निर्णय लिया।

टिहरी बांध परियोजना एशिया में अपनी किस्म की पहली परियोजना है और विश्व में इसका स्थान दूसरा है। बांध की ऊंचाई लगभग 853 फुट होगी। शिखर पर बांध की चौड़ाई लगभग 70 फुट होगी। समुद्रतल से बांध की ऊंचाई 839.5 मीटर होगी। बांध के जलाशय का क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर होगा। इसके जलाशय की जल भंडारण क्षमता लगभग 20 लाख 62 हजार एकड़ फुट पानी की होगी। जशालय में गाद न आए यह सुनिश्चित करने के लिए नदियों के जलाशय क्षेत्र में गहन वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। बांध बन जाने पर इसके बिजलीघर की स्थापित उत्पादन क्षमता प्रथम चरण में एक हजार मेगावाट होगी, जिसे बढ़ाकर दूसरे चरण में दुगुना किया जाएगा। इस बांध से 2.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को विशेष लाभ पहुंचेगा। इस बांध के कारण गंगा नहर में पानी की वृद्धि होने से 14 लाख 12 हजार हैक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सुलभ हो सकेगी।

निर्माणाधीन टिहरी बांध बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ से बचाव, मत्स्य पालन और पर्यटन की दृष्टि से एक बहूद्देश्यीय परियोजना है। यह बांध राकफिल किस्म का होगा। राकफिल बांध भूकम्प के झटकों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने इस बांध की आयु एक सौ वर्ष आंकी है।

योजना आयोग ने टिहरी बांध परियोजना का 1972 तक भू-विज्ञान, भू-स्खलन से कटाव तथा भूकम्प की दृष्टि से गहन अध्ययन किया और परियोजना को हर दृष्टि से उपयुक्त पाने पर अपनी स्वीकृति दी। 1969 में इस परियोजना पर 198 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान था परन्तु समय के साथ-साथ इसकी लागत में वृद्धि होती रही है। अब टिहरी बांध पर 8 अरब 30 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। अब तक इस परियोजना पर लगभग एक अरब रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है।

इस बहूद्देश्यीय परियोजना के निर्माण से टिहरी गढ़वाल जिले के 23 गांव पूरी तरह से जलमग्न और 72 गांव आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। कुल 8630 परिवार विस्थापित होंगे जिन्हें ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग के बीच स्थित रायवाला में 305 एकड़ भूमि हरिद्वार व लक्सर के बीच स्थित पत्थरी ब्लाक की एक हजार एकड़ भूमि और ऋषिकेश-देहरादून मार्ग पर भानियावाला पुनर्वास स्थल जिसका क्षेत्रफल 1550 एकड़ है, में बसाया जा रहा है। इन पुनर्वास स्थलों पर सरकार विद्यालय, पंचायत घर, अस्पताल, बीज भण्डार, डाकघर, पशु चिकित्सालय, विक्रय केन्द्र आदि की सुविधा जुटा रही है। इन स्थानों पर इस समय 17 गांवों के 1,416 परिवारों को बसाने का काम चल रहा है जिनमें से 1,112 परिवारों को पुनर्वास भूमि आवंटित कर दी गई है। 304 परिवारों ने डूब क्षेत्र की भूमि के बदले नकद प्रतिकर व अनुग्रह अनुदान लेकर अपना पुनर्वास खुद करने का फैसला किया है। उपरोक्त 1,416 परिवारों में 10 खेतिहर मजदूर और 135 भूमिहीन परिवार शामिल हैं।

विस्थापित होने वाले प्रत्येक कृषक परिवार को सरकार कम से कम दो एकड़ भूमि उपलब्ध करा रही है। विस्थापित ग्रामीण कृषक परिवार को दी जाने वाली भूमि का मूल्य यदि संबंधित परिवार की अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर से कम है तो शेष प्रतिकर का नकद भुगतान किए जाने का प्रावधान है और उसके अनुपात में अनुग्रह अनुदान भी देय है। प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन विस्थापित कृषि श्रमिक परिवारों को भी दो एकड़ भूमि प्रति परिवार के हिसाब से दी जा रही है, जिसका उनसे कोई मूल्य वसूल नहीं किया जाता। विस्थापित परिवारों को पुनर्वास स्थल पर आवंटित भूमि खेती योग्य बना कर दी जा रही है। प्रत्येक विस्थापित परिवार को पुनर्वास भूमि लेने पर बीज और खाद आदि के लिए एक हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। विस्थापित परिवार को अपना

सामान व मवेशियों के ढुलान के लिए एक हजार रुपये का अनुदान अलग से दिया जा रहा है।

नकद प्रतिकर प्राप्त करने वालों को अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर की धनराशि के अतिरिक्त निम्न दरों पर अनुग्रह अनुदान भी देय है :-

(क) तलाऊ भूमि	-12 हजार रु० प्रति एकड़।
(ख) अव्वल भूमि	-6 हजार रु० प्रति एकड़।
(ग) दोयम भूमि	-4 हजार रु० प्रति एकड़।

दुकानों इत्यादि के लिए

(क) नए टिहरी नगर में जाने वालों के लिए 300/- रु०, 600/- रु०, 900/- रु० व 1200/- रु० दुकान व आकार के अनुसार,

(ख) अन्यत्र बसने वालों के लिए 200/-रु०, 400/-रु० व 800/-रु० दुकान व आकार के अनुसार।

वर्तमान टिहरी नगर में किराए पर रहने वाले व्यक्तियों को सरकार, अकेले रहने वाले व्यक्ति को 500/-रु० तथा सपरिवार रहने वाले व्यक्ति को 1,000/-रु० की दर से पुनर्वास अनुदान का भुगतान करेगी।

नया टिहरी नगर 1550 मीटर से 1900 मीटर तक की ऊंचाई पर होगा। नया नगर एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करेगा। यहां से हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी श्रृंखलाएं तथा नीचे की ओर जलाशय दृष्टिगोचर होगा। तब यह क्षेत्र देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिससे स्थानीय जनता लाभान्वित होगी। टिहरी बांध परियोजना से स्थानीय ग्रामीण जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और वहां उद्योग धंधे खुलेंगे।

टिहरी बांध के निर्माण से वर्तमान टिहरी नगर पूर्णरूप से जलमग्न हो जाएगा। अतः वर्तमान नगर से 35 किलोमीटर दाएं तथा चम्बा से 15 किलोमीटर उत्तर में ग्राम बौराड़ी, मोलधार और कुलणा में नए टिहरी नगर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विस्थापितों की भांति नगरीय क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की है। नगरीय क्षेत्र के विस्थापित परिवारों को सरकार जो सुविधाएं प्रदान कर रही है उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :-

परिवार	नए टिहरी नगर में बसने वालों को देय	अन्य स्थानों पर बसने के इच्छुक व्यक्तियों को देय
(क) चार सदस्यों तक के परिवार के लिए	200/- रु० प्रति सदस्य	100/- रु० प्रति सदस्य
(ख) चार से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए	100/- रु० प्रति अतिरिक्त सदस्य	50/- रु० प्रति अतिरिक्त सदस्य

बहूद्देश्यीय टिहरी बांध परियोजना राष्ट्र के लिए गौरव और उत्तराखंड के जन साधारण के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। □

पिछड़े वर्ग के लिए घर

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के इगलास विकास खंड के एक छोटे से गांव टेहरा में लगभग 100 परिवार रहते हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति के हैं तथा शेष पिछड़े वर्ग के हैं। इनमें सभी छोटे किसान अथवा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। वे सभी मिट्टी की दीवारों और घासफूस की छतों वाले मकानों में रहते हैं। परन्तु अब इनमें से दस परिवार बरसात के मौसम में चैन की नींद सोते हैं क्योंकि इन्होंने अब अपने पक्के मकान बना लिए हैं।

यह परिवर्तन तब आया जब उनके खंड विकास अधिकारी ने उन्हें बताया कि यदि वे अपने गांव में विकसित भूमि पर अपने मकानों का निर्माण करना चाहते हैं तो सरकार उनमें से प्रत्येक को 2000 रुपये मूल्य की ईंटें, सीमेंट और अन्य सामान देने को तैयार है। दस परिवारों ने इस सहायता का लाभ उठाया है। उन्होंने 18' × 12' का एक कमरा तथा खाना पकाने और अन्य सुविधाओं के लिए इसी आकार के एक बरामदे का निर्माण कराया। इन मकानों वाली कालोनी में बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह है।

पिछड़े वर्ग के लिए पुनर्वास योजना के अंतर्गत इगलास खंड के 3500 रुपये से कम वार्षिक आय वाले 80 परिवारों को सीतापुर, मोहकमपुर, गरही जाबू, तरसेरा और बागला में ऐसे मकान मुहैया कराए गए हैं। नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत नवम्बर, 1983 तक उत्तर प्रदेश में 2,800 परिवारों और देश में 55,000 परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराए गए हैं।

जम्मू व कश्मीर राज्य ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पहले ही लक्ष्य से 13 गुना अधिक प्रगति की है। इसके बाद उड़ीसा ने अपने लक्ष्य का 83.4 प्रतिशत प्राप्त किया है। असम और राजस्थान ने पक्के मकान मुहैया कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 57 और 53 प्रतिशत प्राप्त किया है। देश में 4.05 लाख परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। □

पहला सुख निरोगी काया

गुणकारी मूंगफली *

डा० उमेश चन्द्र पाण्डेय

यूं तो मूंगफली बारह महीने मिलती है, पर शीत ऋतु में नई (ताज़ी) और दूध भरी मूंगफलीं आती है। मूंगफली को कुछ लोग "देशी काजू" कहते हैं और कुछ "गरीबों की मेवा"। पौष्टिकता की दृष्टि से मूंगफली है भी उपयोगी। बालू रेत की भुनी मूंगफली खाने के बाद गुड़ खाना लाभकारी होता है।

पौष्टिकता में मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट, सोयाबीन, रामदाना आदि से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। यह धारणा गलत है कि मूंगफली खाने से खांसी, जुकाम, पेट-दर्द, पेचिश आदि कष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई खतरा नहीं है।

मूंगफली का पौधा शिम्बीकुल (लेग्यूमिनेसी फैमिली) के अन्तर्गत आता है। मूंगफली की बहुत सी जातियां और प्रजातियां हैं। मूंगफली को क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न नामों से जाना जाता है—अंग्रेजी में 'ग्राउन्ड नट'; संस्कृत में 'भूशिम्बिका'; गुजराती में 'मॉडवी'; फारसी में 'मुलियन'; मराठी में 'मुगाची'; तमिल में 'वेरक दलाई' तथा लैटिन में 'एराचिस हाइपोजिया'। भारतवर्ष के कुछ भागों में लोग मूंगफली को 'चिनिया बादाम' या 'चीना बादाम' कहते हैं। सर्वसुलभ एवं पौष्टिक होने के कारण मूंगफली को 'गरीबों की मेवा' भी कहा जाता है।

मूंगफली में निम्नलिखित अमीनोएसिड (जो प्रोटीन निर्माण की प्रथम कड़ी हैं) पाए जाते हैं :—

आर्थीनिन	13.6%
हिस्टीडीन	2.0%
लाइसीन	4.4%
सिस्टीन	1.2%
ट्रिप्टोफैन	0.7%
टायरोसिन	5.4%

मूंगफली से तेल निकालने के बाद अवशिष्ट (व्यर्थ बची) खली में प्रोटीन की बड़ी मात्रा होती है। इस खली का उपयोग पशुओं के चारे (कैटल फीड) में किया जाना लाभप्रद होता है। प्रोटीन और वसा (चर्बी) से भरपूर होने के कारण मूंगफली की गणना सुपाच्य (शीघ्र पचने वाले) खाद्यानों में की जाती है। खाद्य-भाग का—96% अंश पाचनयोग्य होता है। मूंगफली से प्राप्त प्रोटीन, सोयाबीन, बादाम, रामदाना, मक्खन, दूध, पनीर, अण्डा आदि से प्राप्त प्रोटीन से उच्च श्रेणी की होती है। अतएव पोषण की दृष्टि से मूंगफली हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी (कुपोषण) पूरा करने में पूर्णतया सक्षम है। मूंगफली में 18% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मुख्य विटामिन, जो मूंगफली से प्राप्य हैं, वे हैं:— विटामिन 'बी-1'; 'बी-2'; निकोटिनिक एसिड; विटामिन 'ई'; 'लिसीथीन' और 'पाइरीडाक्सीन' आदि।

मूंगफली स्वाद में मीठी, शीघ्रपचनशील और तासीर (प्रभाव) में गर्म होती है। यह उत्तेजक, वायुसारक, मूत्रजनक, पीड़ाहर, क्षयनाशक और अग्नि-उद्दीपक होती है। इसका प्रभाव मुख्यतः पाचन एवं संचरण (रक्त संचार) तंत्र पर होता है।

मूंगफली का तेल पौष्टिक, कान्तिवर्धक, व्रणरोधक होता है। गुणों तथा प्रभाव में यह जैतून के तेल के समान ही होता है। यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार मूंगफली का तेल 'कफ' और 'वात' उत्पन्न करने वाला है। चर्मरोगों में मूंगफली के हल्के गर्म तेल से मालिश करने से लाभ मिलता है। हाथ, पैर व जोड़ों के दर्द में इसके तेल की हल्की मालिश गुणकारी साबित हुई है।

बच्चों को नियमित रूप से, सीमित मात्रा में मूंगफली खिलाने से उनकी भूख खुलती है। साथ ही वे 'कुपोषण' के शिकार नहीं हो पाते। जाड़े की ऋतु में हाथ-पैरों तथा चेहरे को फटने से बचाने में 'यह' रामबाण का काम करती है। दूध पिलाने वाली माताओं को सिकी (भुनी) हुई नई मूंगफली खिलाने से उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। मूंगफली के ज्यादा सेवन करने से दस्त (पेचिश) रोग की सम्भावना रहती है।□

बी-12, मॉडल टाउन
बरेली-243005

शिशु एक सुख अनेक

केन्द्र के समाचार

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम

केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय आवास एवं निर्माण मंत्रालय ने तीन राज्यों को 14 करोड़ 46 लाख 71 हजार रूपये की और राशि जारी की है। यह इन राज्यों को वर्ष 1983-84 के लिए दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि का शेष अंश है।

इस राशि में से असम को 2 करोड़ 42 लाख 71 हजार, कर्नाटक को 2 करोड़ 2 लाख एवं हरियाणा को 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

इस वर्ष इससे पूर्व असम के लिए 3 करोड़ 48 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। असम राज्य के पिछले वर्ष के इस मद में से 1 करोड़ 45 लाख 42 हजार रु० बचते थे। अत: चालू वित्त वर्ष के दौरान असम सरकार के पास पेयजल कार्यक्रम के लिए कुल 7 करोड़ 68 लाख 63 हजार रु० की राशि उपलब्ध होगी।

कर्नाटक के लिए वर्ष में तीसरी बार राशि जारी की जा रही है। पहली बार 3 करोड़ 57 लाख, दूसरी बार 1 करोड़ 55 लाख 73 हजार की राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य के पास गत वर्ष की शेष राशि 2 करोड़ 2 लाख है। इस प्रकार चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार इस पर 9 करोड़ 16 लाख 73 हजार रु० व्यय कर सकती है।

हरियाणा राज्य के पास भी पिछले वर्ष की शेष राशि 1 लाख 76 हजार रु० है। □

जलचर पालन से ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

केन्द्रीय कृषि सचिव श्री एस० पी० मुखर्जी ने अधिक मछली उत्पादन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है क्योंकि प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में आहार में मछलियों से 20 प्रतिशत प्रोटीन प्राप्त होती है जबकि विकसित देशों में यह केवल 12 प्रतिशत है।

श्री मुखर्जी दिल्ली स्थित लोदी होटल में जलचर पालन पर भारत प्रशांत मत्स्य आयोग के कार्यदल के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे, जिसका समापन 27 जनवरी, 1984 को हुआ। इस बैठक में भारत प्रशांत क्षेत्र के 13 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें बंगला देश, थाईलैण्ड, मलयेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइन्स तथा आस्ट्रेलिया शामिल थे।

संसार में खाद्यान्नों की असमान उपलब्धता की चर्चा के दौरान बताया गया कि विश्व की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या के हिस्से में मात्र 45 प्रतिशत खाद्यान्न आता है। इसी प्रकार मत्स्य उद्योग भी असमान रूप से वितरित है।

सुझाव दिया गया कि समुद्र से मछली पकड़ने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जलचर पालन उद्योग कहीं अधिक प्रासंगिक है।

सम्मेलन में भारत प्रशांत मत्स्य आयोग के कार्यदल ने क्षेत्र के देशों के जलचर पालन और देश की नदियों में मछलीपालन की स्थिति की समीक्षा की □

धान सुखाने की सस्ती विधि

किसान धान की फसल को सुखाने के लिए धूप में डालते हैं या यांत्रिक तरीके से कोयले, डीजल या मिट्टी के तेल से चलने वाली मशीनों से सुखाया करते हैं। पहले तरीके में किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जबकि दूसरी विधि में व्यय अधिक आता है। पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अब भूसे से जलने वाली एक भट्टी तैयार की है। अग्निरोधक ईंटों से बनी यह भट्टी तीन खानों वाली है। जलने वाले खाने में चावल की भूसी डाली जाती है। भट्टी की गरम हवा धौंकनी से गुजरती है जिसके अन्तिम सिरे पर धान ऊपर से गिरता रहता है और इस प्रक्रिया में सूखता जाता है। भट्टी में 8 किलोग्राम भूसी प्रति घंटे जलने से हवा के प्रवाह से भट्टी का तापमान 30 से 32 डिग्री सेलशियस तक बढ़ जाता है। भट्टी का डिजाइन बहुत सरल होने के कारण इसके रखरखाव पर बहुत मामूली सा खर्च आता है। अत: धान सुखाने के लिए इस भट्टी का प्रयोग करके काफी बचत की जा सकती है। □

ग्रामीण विद्युतीकरण : कारनिकोबार में उल्लेखनीय प्रगति

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 390 गांवों में से 205 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 1983-84 में अब तक 22 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। 1983-84 में 35 गांवों में बिजली पहुंचाये जाने का लक्ष्य है। कारनिकोबार द्वीप

समूह में 15 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। द्वीप समूह के शेष 22 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। इन शेष सभी गांवों में जनवरी, 1984 के अन्त तक बिजली पहुंचाये जाने की आशा है। □

ग्रामीण माताओं के लिए विशेष रेडियो कार्यक्रम

आकाशवाणी रोहतक ने ग्रामीण माताओं के लिए "आंगनबाड़ी" शीर्षक से मातृ एवं शिशु देखरेख पर एक विशेष रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला आरंभ की है। यह कार्यक्रम 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है। इस विशेष रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला के अन्तर्गत 27 विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे। सभी कार्यक्रम ग्रामीण माताओं को मातृ एवं शिशु देखभाल, बाल पोषण, रोग प्रतिरोधकता एवं सुरक्षित प्रसव आदि विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये हैं। यह विशेष कार्यक्रम 3 जनवरी, 1984 से आरंभ हो चुका है एवं प्रति सप्ताह बुधवार के दिन सुना जा सकता है। □

समन्वित ग्रामीण विकास एवं रोजगार कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति

समन्वित ग्रामीण- विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष नवम्बर माह तक लगभग 13 लाख 98 हजार परिवारों को लाभ पहुंचा है। हरियाणा राज्य ने चालू वित्त वर्ष के आरम्भिक आठ महीनों में ही अपने वार्षिक लक्ष्य का 95.3 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। पर्वतीय राज्य सिक्किम ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने वार्षिक लक्ष्य का 230.9 प्रतिशत प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं मणिपुर में भी इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य किया गया। □

ग्रामीण श्रमिकों के लिए गेहूं 1.50 रुपये प्रति किलो

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत कार्य कर रहे लोगों को 1.50 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया जायेगा। यह व्यवस्था उन ग्रामीणों के लिए होगी जो बेरोजगार हैं या जिनके पास नियमित रोजगार नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे ग्रामीणों को न्यूनतम पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना है। यह प्रधानमंत्री द्वारा 15 जनवरी, 1984 को राष्ट्र के नाम प्रसारित एक संदेश में बताया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बताया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत खेल के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम उन क्षेत्रों में शुरू किया जायेगा जहां कि चावल की पैदावार कम होती है। योजना के दौरान गेहूं क्रान्ति को उन क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जायेगा जहां इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ ही सामाजिक वानिकी पर भी विशेष बल दिया जायेगा, जिससे ग्रामीणों की ईंधन, चारे और इमारती सामान की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। □

गांवों में गरीबों को मकानों के लिए भूमि आवंटित

देश में चालू वित्त वर्ष के प्रथम आठ महीनों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और अन्य बेघर गरीब ग्रामीणों को 7 लाख 27 हजार मकानों के लिए भूखंड आवंटित किए गए हैं। यह नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 83.2 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में गांवों में रहने वाले गरीबों को 71,000 से ज्यादा भूखंड आवंटित किए गए जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 119 प्रतिशत है। परन्तु उड़ीसा निर्धारित लक्ष्य का 177.6 प्रतिशत प्राप्त कर सभी राज्यों से आगे रहा और इसके बाद गुजरात ने 65,090 भूखंडों के आवंटित करने के निर्धारित लक्ष्य का 162.7 प्रतिशत प्राप्त कर लिया। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि 118.6 प्रतिशत, अंडमान और निकोबार की 115.1 प्रतिशत और दादरा 110 प्रतिशत रहीं की अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी भूखंड आवंटित करने के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक सफलता प्राप्त की है।

तमिलनाडु अपने वार्षिक निर्धारित लक्ष्य से केवल 0.5 प्रतिशत पीछे है जबकि हरियाणा ने इस क्षेत्र में 95 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि हासिल की है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक ने निर्धारित लक्ष्यों का क्रमश: 87.7 प्रतिशत, 81.8 प्रतिशत, 74.8 प्रतिशत और 74.7 प्रतिशत प्राप्त किया।

इसके अतिरिक्त 1.96 लाख परिवारों को अपने मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। परन्तु केवल पश्चिम बंगाल ने दिसम्बर 1983 तक अपने निर्धारित लक्ष्य से 11 प्रतिशत की अधिक वृद्धि प्राप्त की थी। पश्चिम बंगाल ने 9,969 व्यक्तियों को मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता अपलब्ध कराई। इसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा ने इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य की क्रमश: 72.5 प्रतिशत और 65.9 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। □

"जब आप वनों की सुरक्षा करते हैं तो न केवल आप वृक्षों को बचाते हैं वरन् राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं।"

इन्दिरा गान्धी

तेहरा के मजदूर व छोटे किसानों को पक्के मकान

श्रीधर त्रिपाठी

अलीगढ़--इगलास रोड पर तेहरा---मूज एक छोटा सा गांव है जहां मजदूर व छोटे किसान रहते हैं । गांव में लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जो निर्बल वर्ग की श्रेणी में आते हैं । इनमें आधे से अधिक अनुसूचित जन जाति के हैं । कालीचरन, जहारिया, चूरा बूचा, मित्रपाल, राजबीर, रामवीर और प्रेमा जाटव के परिवार उन भाग्यवान लोगों में से हैं जो सरकार की सहायता से बनाए गए मकानों में रह रहे हैं । नए बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्बल वर्ग आवास योजना से लाभार्थ ये परिवार आज चैन और खुशहाली की जिन्दगी बिता रहे हैं । मित्रपाल ने बताया कि वे एक वर्ष से इन मकानों में रह रहे हैं । इससे पहले वे कच्चे, मिट्टी की दीवारों से घिरे छप्पर से ढके मकानों में रहते थे जो हर साल आंधी---वर्षा से क्षतिग्रस्त हो जाते थे । उनकी सारी बचत की रकम इन मकानों की मरम्मत में ही व्यय हो जाया करती थी । रामवीर ने बताया कि इन मकानों में रहने से उन्हें जिस सुख का अनुभव हुआ है, उसकी पहले वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे । उन्हें 2000 रु० की सामग्री सहायता विकास खण्ड इगलास से मिली है तथा मेहनत-मजदूरी उनकी अपनी है । काली-चरन की पत्नी ने प्रसन्नता की मुद्रा में कहा कि दो हजार रुपया कोई कम रकम नहीं है । इतने से तो एक मकान बनकर खड़ा हो गया । यदि यह सहायता न मिलती तो ऐसा मकान कभी नहीं बन पाता । कालीचरन के 10 वर्ष के लड़के राम बाबू ने बताया कि छप्पर में जब वह रहता था तब बरसात में बहुत कष्ट होता था । अब एक साल से इस पक्के मकान में वह बड़े आराम से है । गेंदालाल ने बताया कि इस गांव में बनी निर्धन वर्ग आवास कालोनी के सभी दस परिवार मेलजोल, भाई-चारे व सहयोग से रहते हैं । खेती के लिए जमीन अभी किसी के पास नहीं है । सभी लोग मजदूरी करके जीवन-यापन करते हैं । उसने आगे बताया कि सभी आवंटी परिवार युवकों के हैं और नए परिवेश में नवीनता का अनुभव करते हुए सभी परिवार सरकार की नीतियों के प्रति जागरूक हैं । उसने बताया कि इस कालोनी के निवासी छोटे परिवार वाले हैं । किसी की भी तीन से अधिक संतानें नहीं हैं । घरों की स्त्रियां गृहस्थी की देखभाल बड़ी कुशलता से करती हैं और मकान का रख-रखाव सफाई आदि पर विशेष ध्यान देती हैं । बच्चे खुले मैदान में स्वच्छ वातावरण में खेलते हैं और स्वस्थ हैं ।

हर मकान में 18 फीट लम्बा हवादार एक कमरा है जिसमें एक दरवाजा और दो खिड़कियां हैं । इतना ही बड़ा एक बरामदा है और सामने साफ मैदान है । इस कालोनी तक मुख्य सड़क से संपूर्ण मार्ग बना है और दो-चार घरों में बिजली भी पहुंच गई है ।

कालोनी वासियों ने अपने क्षेत्र इगलास के खण्ड अधिकारी श्री श्याम सिंह तोमर, सहायक विकास अधिकारी श्री गोपाल शर्मा व श्री नरसिंह पाल तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री राम खिलाड़ी वर्मा के प्रति आभार प्रकट किया, जिनके प्रयत्नों व मार्ग-दर्शन से यह कालोनी तैयार हो सकी । कालोनी वासियों ने यह भी आशा प्रकट की कि गांव के अन्य लोग जो पात्र हैं उन्हें भी ऐसे ही मकान निकट भविष्य में मिल जाएंगे ताकि सारा गांव खुशहाल हो सके ।

ग्रामवासी, जो इस योजना के प्रति आरम्भ से रुचि बनाए हुए हैं, इस योजना को साकार देखकर बहुत प्रभावित हैं । उनकी मान्यता है कि नया बीस-सूत्री कार्यक्रम निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए ठोस कार्यक्रमों की एक शृंखला प्रस्तुत करता है जिससे निर्बल वर्गों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा । उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है कि उनके गांव में इस कालोनी के बन जाने से वहां के निवासियों के जीवन में एक अकल्पनीय मोड़ आया है । और उनके गांव में एक नए भोर के कलरव का निनाद गूंज रहा है ।

अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील का इगलास विकास खण्ड 20सूत्री कार्य-क्रमों के क्रियान्वयन में बड़ी लगन से आगे बढ़ रहा है । निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम सीतापुर, मोहकम-पुर, गढ़ी, तरसारा, और नगला सीताराम में 77 परिवारों को मकान बनाकर दिए जा चुके हैं और ग्राम कनौरिया तथा ग्राम किशनपुर में 15 परिवारों के लिए मकान बनवाए जा रहे हैं । 3500 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत चयनित किया जाता है । खण्ड विकास अधिकारी श्री तोमर ने बताया कि इस दिशा में जो भी काम हुआ है वह क्षेत्र के लोगों के सहयोग से ही सम्भव हो सका है तथा विकास कार्यकर्ताओं की लगन, परिश्रम व समाज कल्याण की भावना से काम करने का सुफल मिला है । □

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
अलीगढ़

आर०एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D(DN) 98
Licenced under U (DN)-
to post without pre-Payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सितम्बर, 1983 तक 7.82 लाख लोग लाभान्वित हुए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1983 तक 10,110 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अन्तर्गत लगभग 5.52 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया गया।

फरवरी 1983 तक भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.5 लाख एकड़ फालतू भूमि प्राप्त हुई जिसमें से 1.94 लाख एकड़ भूमि 1.58 लाख भूमिहीनों को वितरित की गई।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।